कामकाजी महिला

वर्ष 4 अंक 3 फरवरी, 1992 मूल्य : 2 रु०

कर्नाटक राज्य आंगनवाड़ी फेडरेशन द्वारा बंगलौर में 7 सितम्बर, 1991 को झाड़ू प्रदर्शन ।

सोवियत संघ का पतन—महिलाओं पर प्रभाव

11 सोवियत गणराज्यों ने 21 दिसम्बर 1991 को अल्मा अटा में एक राष्ट्रमंडल के गठन संबंधी एक घोषणा पत्र दस्तखत करके सोवियय संघ को समाप्त कर दिया। क्रिसमस के दिन गोर्बाचेव के इस्तीफे के साथ ही संघर्ष व समस्याओं का अहसास हुआ था। इटली रेडियो के एक संवाददाता को दिये गये एक इंटर्व्यू में गोर्बाचेव ने कहा "मैं इस नये समुदाय में विश्वास नहीं रखता। मैं समझता हूं कि यह टिक नहीं सकेगी। इसमें समन्वय संभव नहीं है। इसमें योजना बद्ध ढंग से काम-काज नहीं हो सकेगा और हमें इसी सबसे ज्यादा जरूरत है।" उन्होंने बोरिस येल्तसिन पर आरोप लगाया है जो इस नयी व्यवस्था के सूत्रधार हैं।

जन आन्दोलन

मॉस्को रैली के बाद अल्मा अटा घोषणा के खिलाफ जबर्दस्त प्रदर्शन हुए। 10,000 रोटी मांगने वाले लोग लाल परचम तले लेनिन व स्टालिन के पोस्टरों को लिए हुए एकत्र हुए। सेंटपीटर्सबर्ग के पैलेस स्क्वायर में 3,000 लोग विरोधकर्ता एकत्र हुए। पूरे सप्ताहांत में ह्यूमन, चेल्या, विस्की, टौम्सक, टोलजारी, पेट्रो जावास्क तथा क्रासनडोर में रैलियां व प्रदर्शन हुए। केशिविर में नागरिकों ने राष्ट्रमंडल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए 'रिपब्लिकन बिल्डिंग' के सामने प्रदर्शन किया। तिवल्सी में जॉर्जिया के राष्ट्रपति को लोगों ने घेर लिया। "हमने संघ के लिए वोट दिया है, हम उन्हें मॉस्को से हटकर मिस्क नहीं भागने देंगे" एक मजदूर, इवान पेत्रोव, जो कि एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, ने कहा कि गोर्बाचोव को अब से तीन साल पहले चला जाना चाहिए था। पेरेस्त्रोइका ने हमें कुछ नहीं दिया। वही हमारी ग़रीबी के लिए जिम्मेदार है। पेत्रोव को 185 रूबल मिलते हैं। उनकी टिप्पणी से जनता के बीच व्याप्त चिन्ता का पता चलता है। ओल्गा मैंग्ज़ीमोवा जो कि एक पुस्तकालयाध्यक्ष हैं कहा कि 'यह तो भयानक है। यदि सरकार तनख्वाह देना बन्द कर देगी तो हम कैसे जियेंगे?" अब जबकि एक

इस अंक में

भुवनेश्वर में महिलाओं का धरना	4
दहेज अपराधियों के प्रति ठण्डा रवैया	5
गुलबर्गा में आँगनवाड़ी महिलाओं का सम्मेलन	6
महंगाई का दानव	7
बम्बई एयरलाइंस से 29 नवम्बर की हड़ताल की रपट	9
आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा भूख हड़ताल समाप्त	10
आंगनवाड़ी महिलाओं की संयुक्त संघर्ष समिति	11
संयुक्त संघर्ष समिति की बैठक	12
उद्योग में महिलाएं	13
महिला सांसदों ने आवाज उठायी	14
राष्ट्रीय सन्दर्भ में महिलाएँ—एक सेमीनार	15
पांडिचेरी की आंगनाड़ी महिलाओं ने मानदेय का बहिष्कार किया	16
बिहार राज्य की आंगनवाड़ी सेविकायें अपनी सेवा के सरकारीकरण हेतु मर मिटेंगी	17
बिहार राज्य कामकाजी समन्वय समिति की बैठक	18
गुरु तेगबहादुर चैरिटेबल अस्पताल, लुधियाना की महिला उद्यमियों का संघर्ष	19
वर्ष 1991—महिलाओं के लिए यातनापूर्ण	20
पूर्वी जर्मनी पुन: दीवार चाहता है	21
बिहार राज्य आंगनवाड़ी सेविका-सहायिका संघ	21
5 मार्च को आंगनवाड़ी महिलाओं द्वारा गिरफ्तारी	22
ए आई सी सी डब्लू डब्लू की बैठक नागपुर में	22
शानदार हड़ताल के लिए मजदूरवर्ग को बधाई	23
गोसलपुर फैक्टरी बचाओ आन्दोलन	24

सीटू के अखिल भारतीय कामकाजी महिला समिति के लिए विमला रणदिवे की ओर से 6, तालकटोरा रोड, नई दिल्ली-110001, (फोन नं० 384071) से सम्पादित और प्रकाशित तथा प्रोग्रेसिव प्रिंटर्स, ए-21, झिलमिल इंडस्ट्रीयल एरिया, शाहदरा, दिल्ली में मुद्रित।

किलो मीट तीन घंटे तक लाइन में लगे रहने तथा 100 रूबल देने के बाद मिलता है, उनकी 250 रूबल की तन्ख्वाह अर्थहीन हो गयी है। येल्मा सोविन्सिकाया, जो कि एक डाक्टर हैं, कहती हैं कि हमारे सामने भविष्य के बारे में अनिश्चितता बनी हुई है। हम नहीं जानते कि हमें दिसम्बर में तनख्वाह मिलेगी अथवा नहीं। हम भय के वातावरण में जी रहे हैं।"

रूस का बाजार अर्थव्यवस्था में प्रवेश

रूस ने अपनी जनता को बाजार अर्थव्यवस्था में झोंक देने का फैसला 16 दिसम्बर को किया लेकिन उक्रेन व बायलोरशिया के अनुरोध पर इस फैसले को 2 जनवरी तक टाल दिया है। रूसी आर्थिक सुधार कार्यक्रम अक्टूबर के अन्त में शुरू हुए ये यह केवल सरकार समर्थित कीमतों को हटाकर कीमतों को बाजार स्तर लाने का प्रयास था। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि अधिक कीमतों से भंडारों की स्थिति पुन: ठीक हो जायेगी लेकिन लोगो में इस स्थिति को लेकर आक्रोश है। महंगाई बेतहाशा बढ़ गई है तथा जो अंडा पहले 15 में बिकता था अब 45 रूबल में मिलता है। 'चीज' जिसकी कीमत पहले 50 रूबल प्रति किलो थी अब 100 रूबल में बिक रही है। भोजन के लिए लगने वाली कतारें लगातार लम्बी होती जा रही है। सरकार ने रोटी की कीमत नियत करी हुई थी लेकिन उसे यह कीमत छ: गुना बढ़ानी पड़ी। अब केवल सस्ती व स्वादहीन रोटियां ही बाजार में उपलब्ध है। पास्चूरीकृत दूध बाजार से ग़ायब हो चुका है तथा अब केवल पाउडर का दूध ही मिल रहा है। लोग हर रोज सुबह दूध की लाइन में लगते हैं और खाली हाथ लौट आते हैं। मीट आदि सरकारी दुकान में शायद ही कभी दिखते हो लेकिन निजी बाजारों में उपलब्ध हैं। चिकन की कीमत 100 रूबल तथा सॉसेज की 150 रूबल है। मक्खन दुर्लभ वस्तु है तथा सड़कों में 150 रूबल प्रति किलो के भाव मिल रहा है। नमक की भी कमी होती जा रही है तथा जब कभी मिलता है तो लोग इकट्ठा खरीद लेते हैं। चीनी का राशन हो ही रहा है। खाना बनाने का तेल कोयला, खाना बनाने की गैस व पेट्रोल आदि की कीमतें 5 गुना बढ़ गयी हैं। दवाओं की सख्त कमी है तथा उनकी कीमतें चार गुना बढ़ गयीं हैं। लोगों का औसत वेतन 350 रूबल प्रति माह है।

मेजर जनरल रुत्सोकी ने धमकी दी है कि यदि कीमतों पर नियन्त्रण न रखा गया तो वे इस्तीफा दे देंगे क्योंकि येल्त्सिन के सुधार ग़रीब वर्ग की कमर तोड़ देंगे। राजनैतिक व आर्थिक ढांचे में आए बदलावों से तेल का उत्पादन गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है। परिवहन व्यवस्था व निर्यात पर भी बुरा असर पड़ा है। कोई भी इस स्थायी अंधकार में नही रहना चाहता। यूक्रेन के किसान अब सुधारों की ओर ध्यान दे-रहे हैं। इस परिस्थिति में रूसी सरकार मुद्रा कोष से सहायता की मांग कर रही है तथा उसकी शर्तों को मानने के लिए तैयार है। जनवरी में रखे जाने वाले बजट से दिवालियापन व बेरोजगारी बढ़ेगी। नियंत्रण में बेची जाने वाली वस्तुओं की कीमतों पर 21.88 प्रतिशत तथा खुली बिकने वाली वस्तुओं की कीमतों पर 28 प्रतिशत वी. ए. टी. कर का प्रावधान कर ही दिया गया है।

आवास योजना का निजीकरण

आवास योजना का भी निजीकरण किया जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप इस क्षेत्र में भी लोगों की परेशानियां बढ़ी हैं। 70,000 लोगों ने मकान के लिए आवेदन किया था लेकिन केवल 2,000 ही मकान ले सके। जैसे ही निजीकरण की घोषणा हुई लोगों की कतारें ग़ायब हो गयीं। लोग नये करों से घबराये हुए हैं। चूंकि रूबल की कीमत हर सप्ताह 4 प्रतिशत गिर रही है, अत: अधिकतर लोग समझने लगे हैं कि आज वे जो पैसा प्राप्त करेंगे कल वह अर्थहीन हो जायेगा। सरकारी दुकानों में आयातित वस्तुओं की भरमार हो रही है तथा आपूर्तिकर्ता कीमतों से नियन्त्रण हटाये जाने के इन्तजार में जमाखोरी कर रहे हैं। विदेशी सहायता के साथ 250 लोगों का यह सुनिश्चित् करने के लिए आयेगा कि यह सहायता उन लोगों तक पहुंचे जो लोकतंत्र का समर्थ नहीं करते। जॉजिया तथा अजरबैजान को सहायता से अलग रखा गया है।

विशेषज्ञों की राय में मूल्य अनियन्त्रण से मुद्रास्फीति 100 से 400 प्रतिशत तक बढ़ेगी तथा प्रमुख क्षेत्रों पर माफिया का कब्जा हो जायेगा। माफिया नियन्त्रित व्यापार व उद्योग के फलस्वरूप बहुसंख्यक समुदाय की कार्य-स्थितियों तथा वेतन का स्तर गिरेगा। यह माफिया कौन बनायेगा। पश्चिमी शक्तियां एक ज़माने के शक्ति-

शाली सोवियत संघ को बर्बाद कर देंगी। देश का अमीर वर्ग आश्वस्त है। इस बीच टी. वी. पर निवेश से भविष्य में लाभ प्राप्त होने का झूठा प्रचार चल रहा है। मॉस्को स्टाक एक्सचेंज में कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। एक वर्ष पहले हमारे जिन शेयरों की कीमत 500,000 रूबल थी, आज उनकी कीमत 8.5 मिलियन हो गयी है।

महिलाओं पर बढ़ता हुआ बोझ

आर्थिक संकट से महिलाओं पर घर के अन्दर तथा बाहर दोहरा दबाव पड़ रहा है। अब उन्हें आवश्यक वस्तुएं जुटाने के लिए लम्बी कतारों में लगना पड़ेगा तथा बच्चों को भी शिक्षा के अधिकार से वंचित रह कर काम करना पड़ेगा। बहुराष्ट्रीय कंपनियां अर्थव्यवस्था में प्रवेश कर मजदूर वर्ग का शोषण करेंगी तथा उनके लिए श्रमिक संघों अथवा सरकारी प्रावधानों जैसी कोई सुरक्षा नहीं होगी। घटती हुई आय व बढ़ती हुई कीमतों से महिलाओं पर दबाव बढ़ेगा। इसके साथ उसे राजनैतिक, कानूनी व सामाजिक हानियां भी होंगी क्योंकि यह माना जाता है कि महिलाएं तो अथक परिश्रम कर सकती हैं, उनकी मुफ्त सेवाओं से नयी व्यवस्था लाभान्वित होगी। परिणामस्वरूप बच्चों को उपेक्षा, कुपोषण व बाल मजदूरी आदि का शिकार होना पड़ेगा। वेश्यावृत्ति बढ़ेगी। येल्तसिन के अनुसार 1992 में नये राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों में जीवन-स्तर निम्न रहेगा। वे पश्चिमी देशों से से पर्याप्त सहायता न मिल पाने के कारण हताश हैं। येल्तसिन ने मानवीय सहायता की आवश्यकता को स्वीकारा है। उन्होंने यह भी कहा कि सेना का वेतन 1 जनवरी, अर्थात् नयी बाजार व्यवस्था के काम करना शुरू करने पर 100 प्रतिशत बढ़ा दी जायेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इन कदमों से येल्तसिन के अलोकतांत्रिक तौर-तरीकों के परिणामों की एक कड़ी के रूप में मुद्रा स्फीति और बढ़ेगी। रूसी उपराष्ट्रपति के अनुसार उनकी सरकार बिना सोचे-समझे काम कर रही है।

अगला वर्ष सोवियत जनता के लिए समस्याओं का वर्ष

अगला वर्ष सोवियत जनता के लिए वर्तमान संकट से निकलने की स्थिति न होने के कारण कठिनाई का वर्ष होगा युद्ध पेंशन प्राप्त करने वाली 67 वर्षीय वेलेंटाइन विनोग्रादोवा का कहना है "मैं येल्तसिन के इस वायदे में विश्वास नहीं रखती कि अगले वर्ष स्थितियां सुधरेंगी। अपने आलू-गोभी के खाने की ओर देखते हुए वे कहतीं है "हम युद्ध के समय भी इससे बेहतर स्थिति में थे।" इसी प्रकार नताशा का कहना है कि "हालांकि मैं स्वयं गरीबी की स्थिति में नहीं हूं लेकिन बहुत से लोगों के लिए ये सुधार घातक सिद्ध होंगे।" वे 10,000 रूबल प्रतिमाह प्राप्त करती हैं।

क्या लोकतन्त्र बिना कठिनाइयों के प्राप्त किया जा सकता है?

भुवनेश्वर में महिलाओं का धरना

ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक एसोसियेशन ऑफ वोमेन की उड़ीसा राज्य समिति ने भुवनेश्वर में एक विशाल धरना दिया। कार्यक्रम का आह्वान केन्द्र द्वारा किया गया था।

रेलवे स्टेशन से चलकर महिलाओं का एक जुलूस अनेक रास्तों से होता हुआ पी. एम. जी. स्क्वायर पर पहुंचकर धरने में बदल गया। जुलूस का नेतृत्व उड़ीसा इकाई के कई नेताओं ने किया तथा सदस्यों को अन्य लोगों के अतिरिक्त 'आड्वा' महासचिव श्यामली गुप्ता ने सम्बोधित किया। अपने भाषण में कॉ. गुप्ता ने कहा कि महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग बनाने की मांग कोई नयी मांग नहीं है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों ने अपने देश में महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए राष्ट्रीय आयोग बनाने का फैसला किया। भारत भी उस ऐतिहासिक फैसले में शामिल था। केवल राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने सत्ता में आने के बाद विभिन्न महिला संगठनों के साथ विचार-विमर्श करके इस संबंध में एक विधेयक संसद में पेश किया। दूसरी ओर नरसिम्हा राव सरकार ने आयोग का गठन करने के बजाय आयुक्त की नियुक्ति कर दी। इस विषय पर राव सरकार के रवैये का विरोध करने के लिए देश-भर में प्रदर्शन व धरने दिये गये।

संसद सदस्य शिवाजी पटनायक ने भी उपस्थित सदस्यों को सम्बोधित किया व सरकार से समाज में महिलाओं का स्थान सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने सरकार की अन्य नीतियों तथा उड़ीसा में जनता दल सरकार द्वारा निजीकरण की दिशा में उठाये गये कदमों की निन्दा भी की।

पहले से समय लेने के बावजूद मुख्यमंत्री नहीं मिले। उनकी अनुपस्थिति में महिलाओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने उनके कार्यालय में एक ज्ञापन दिया। **अल्पना वर्मा**

दहेज अपराधियों के प्रति ठण्डा रवैया

इसी वर्ष 23 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने तीन अपराधियों को उम्र कैद की सजा दी। इन्हें 1974 में दहेज से सम्बन्धित हत्याओं के लिए एक सजा दी गयी। अशोक कुमार श्रीवास्तव, उसके पिता राजेन्द्र लाल तथा उसकी बहन सुधा को अशोक की 25 वर्षीय पत्नी, मीरा को जलाकर मारने के अपराध में उम्र कैद की सजा दी गयी। उच्चतम न्यायालय का यह निर्णय एक ऐसे अपराध की ओर ध्यान खींचता है जो आजकल बेहद बढ़ गया है।

ऐसी उदासीन न्याय व्यवस्था जो अपराध को साबित करने में 18 वर्ष लगा देती है, सामाजिक न्याय के लिए विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा किये जा रहे सभी प्रयासों को शून्य बना देती है। क्या इतनी देर से न्याय मिलना अपने आप में अन्याय नहीं है।

दिल्ली स्थित कार्मिक सुभद्रा भुटालिया का कहना है कि "कानून व्यवस्था त्रुटिपूर्ण है। यह गैर-जमानती अपराध है, लेकिन अभियुक्तों को हमेशा जमानत हो जाती है जिससे उन्हें साक्ष्यों को तोड़ने मरोड़ने का मौका मिल जाता है।"

शालिनी मल्होत्रा ने; जिसे कथित रूप से उनके पति ने जला दिया; मरने से पहले दूरदर्शन को दिये बयान में अपने पति को जिम्मेदार ठहराया है। इसके बावजूद उसके पति की जमानत हो गयी। यह केस अभी-भी कोर्ट में घिसट रहा है। 'सहेली' जैसी संस्थाओं को आशंका है कि कानून उस व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा क्योंकि वह पैसे वाला और प्रभावशाली है।

त्रिप्ता शर्मा के मामले में भी भारतीय न्यायव्यवस्था की सुस्त रफ्तार उजागर हुई है। उसके साथ काम करने व छः वर्ष से अपराधियों को सजा दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे उसके साथी यह देखकर निराश हो गये हैं कि सीधे-सीधे हत्या के मामले को आत्महत्या का मामला बनाने की कोशिश की जा रही है। उनका कहना है कि 'निचले स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार' के कारण उनके प्रयास बेकार जा रहे हैं।

क्राइम्स अगेन्स्ट वोमेन सैल, दिल्ली ने जिन 35 मामलों की पड़ताल की उनमें से कम से कम 32 मामलों को अदालत ने 1985 से 1991 बीच निरस्त कर दिया।

जब भारती नरुला को उसके ससुराल वालों ने जला दिया था तथा महिलाओं ने उनके गुलमोहर पार्क स्थिति निवास पर प्रदर्शन किया तो उन लोगों ने वह मकान बेच दिया तथा किसी अन्य स्थान पर फ्लैट ले लिया। इस बीच पड़ोस की एक महिला व उनकी तीन लड़कियों को भी धमकियां मिलीं। अभियुक्त का प्रभाव इतना था कि इलाके के थानेदार का तबादला कर दिया गया। समझा जाता है कि वह व्यक्ति इस मामले के प्रति गंभीर था इसीलिए उसका तबादला कर दिया गया। जैसी कि आशंका थी अदालत ने फैसला दिया कि पुलिस अपराध को साबित नहीं कर सकी है।

पुलिस की बात छोड़ भी दी जाये तो जज तथा मजिस्ट्रेट भी मामलों के प्रति संवेदनशील नहीं हैं। जब कोर्ट द्वारा दी गयी तारीख को लोग नज़रअन्दाज कर देते हैं तो भी अदालत कुछ कदम नहीं उठाती। महिला दक्षता समिति की रंजना कुमारी ने कहा कि 'वे लोग अपराधी से कई कारणों से सहानुभूति रखते हैं। प्रायः इसलिए कि उसकी पुनः शादी हो चुकी होती है तथा उसके साथ उसका परिवार भी होता है।"

सुश्री भुटालिया ने कहा कि 'अन्य अपराधियों का भी परिवार होता है लेकिन उनके मामलों में इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाता।" उनका यह भी मानना है कि 14 वर्ष की उम्र कैद (जो प्रायः घटकर 5-7 वर्ष रह जाती है) ऐसे अपराधियों के लिए पर्याप्त सज़ा नहीं है।

सुधा गोयल के मामले में निचली अदालत ने इसे हत्या माना तथा अपराधियों को मौत की सज़ा दी। जब अभियुक्त ने हाई कोर्ट में अपील की तो अदालत ने 'अपर्याप्त प्रमाण' के आधार पर उन्हें छोड़ दिया। जब तक महिला संगठनों ने उच्चतम न्यायालय में अपील की तब तक अभियुक्त का दूसरा विवाह हो चुका था। अन्त में अदालत ने भाई को छोड़कर पति व सास को सजा सुनाई।

शान्ति जो कि विधवा हो गयी थी तथा जिसे
[शेष पृष्ठ 8 पर]

गुलबर्गा में आँगनवाड़ी महिलाओं का सम्मेलन

एम. एम. राजम्मा, कर्नाटक

15 दिसम्बर को गुलबर्गा में टाउन हाल में आंगनवाड़ी सेविकाओं व सहायिकाओं का सम्मेलन हुआ।

लगभग 450 महिलाओं ने कार्यक्रम में भाग लिया। वे गुलबर्गा 4 तालुकाओं का प्रतिनिधित्व कर रहीं थीं। उपस्थित सदस्यों को सम्बोधित करते हुए जनता दल, गुलबर्गा जिला परिषद के उपाध्यक्ष श्री मवयाला ने कहा कि अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए संयुक्त संघर्ष आवश्यक है। केन्द्र सरकार को आँगनवाड़ी महिलाओं की माँगों को स्वीकार करना चाहिए।

महिला एवं बाल विकास के सहायक निदेशक एन. एस. गंगलखाद ने कहा कि हालांकि आंगनवाड़ी महिलाओं का सतत संघर्ष जारी है लेकिन गलत कदमों तथा विभिन्न संगठनों के बीच एकता के अभाव के कारण अब तक कोई ठोस उपलब्धि हासिल नहीं की जा सकी। ऐसा महत्वपूर्ण कार्य करने वाली महिलाओं को पर्याप्त पारिश्रमिक नहीं मिलता। केन्द्र सरकार ही आपकी समस्याओं के समाधान हेतु सहयोग करेंगे। एक संगठन अथवा कम से कम एक धरातल का होना अत्यन्त आवश्यक है, जैसे यह संगठन आपको एक सामाजिक की दिशा में नेतृत्व दे रहा है। अनेक विभाजनकारी संगठनों के होने के कारण आपको उचित संगठन के चुनाव में दिक्कत हो रही है। मैं आपके संगठन और आपके संगठित संघर्ष की सफलता की कामना करता हूं।

कॉ. राजम्मा (सीटू) ने कहा कि आप यहाँ इसलिए एकत्र हुए हैं कि आपका वेतन बढ़े व आपको बेहतर सुविधाएँ प्राप्त हों। बागान, बीड़ी व ऐसे अन्य उद्योगों में जहां बड़ी संख्या में महिलाएँ काम करती हैं, मजदूरों की सुरक्षा के लिए कानून हैं। वहाँ न्यूनतम वेतन का प्रावधान है। आपको उसके आधे से भी कम वेतन मिल रहा है। आपके जैसे महत्वपूर्ण काम के लिए बेहतर वेतन होना चाहिए।

पूर्व-वक्ताओं ने बिल्कुल सही कहा कि आँगनवाड़ी महिलाओं के लिए एक संघर्ष का एक समान धरातल होना चाहिए। सीटू ने इस दिशा में पहल की है तथा 1990 में दिल्ली में हमारा आँगनवाड़ी सम्मेलन हुआ था जिसमें आंगनबाड़ी फेडरेशन शामिल हुए तथा एक संयुक्त संघर्ष समिति का गठन करके आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए एक कार्यक्रम निर्धारित किया। भिन्न-भिन्न विचारधाराओं वाले श्रम संगठनों से संबंध रखते हुए भी फेडरेशन में शामिल हुआ जा सकता है। सरकार द्वारा अधिसूचनाएं जारी किए जाने के बावजूद राज्य सरकारें उन्हें लागू करने तथा वेतन बढ़ाने के प्रति उदासीन हैं। उपलब्धियों के शीर्षस्थ व्यक्तियों को सम्मानित किया जाता है जबकि आप लोगों को नजरअंदाज किया जाता है। और तो और सरकार आई.सी.डी. एस. के भी निजीकरण का प्रयास कर रही है। इन सब समस्याओं के निदान के लिए फरवरी माह में दिल्ली में संघर्ष समिति की बैठक होने जा रही है तथा 5 मार्च को दिल्ली में बोट क्लब पर आँगनवाड़ी महिलाओं का एक विशाल धरना होने जा रहा है जिसमें आप सभी बड़ी सी बड़ी संख्या में भाग लें।

माकपा राज्य समिति तथा ए. आई. के. एस. की सदस्या मारुति माडपडे ने सदस्यों को सम्बोधित करते हुए कहा कि सभी उद्योगों में मजदूर बेहतर वेतन के लिए संघर्ष कर रहे हैं इसी प्रकार आप भी संघर्षरत हैं क्योंकि क्योंकि आपको तथाकथित मानदेय के नाम पर नाममात्र का वेतन दिया जाता है। केन्द्र सरकार ने भी आपकी ओर से आँखें फेर ली हैं। आपको दहेज, मूल्य वृद्धि व अन्य सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ संघर्ष करना है।

कर्नाटक सरकार ने बेघर लोगों को आवास प्रदान करने के लिए 'आश्रय' योजना शुरू की है। लेकिन कुप्रबंध तथा भ्रष्टाचार के चलते केवल अमीर लोगों को जमीन प्रदान की जा रही है। हमें सब के खिलाफ तथा अपने संगठन को मजबूत करने के लिए संगठित होकर लड़ना है।

अनेक लोगों ने अपने विचार रखे। उनके अलग-अलग विचार तथा माँगें थीं। एक वक्ता ने कहा कि अनेक नेता हमारी सहायता के लिए आगे आये लेकिन हमें अब तक कोई ठोस लाभ प्राप्त नहीं हुआ है, अतः मानपड़े (सीटू) से जुड़ने का फैसला किया है। हमें सी. डी. पी. ओ. से बात करने तथा एक कार्यव्यवस्था तैयार करने का अधिकार होना चाहिए।

सुश्री नीलिमा ने कहा कि बारह वर्ष की नौकरी के

बाद भी एक स्नातक को केवल 250/- मिलते हैं तथा अधिक उम्र हो जाने के कारण वह सरकारी नौकरी भी नहीं कर सकता। सुश्री माधवी ने कहा कि खाद्य पदार्थ लाने के लिए बस का किराया कभी प्रदान नहीं किया जाता। उसी प्रकार स्रीलन्का ने कहा कि यदि आपका अधिकारी आपसे प्रसन्न नहीं हैं तो एक दिन की छुट्टी भी एक सप्ताह की छुट्टी गिन ली जायेगी। शिकायत करने पर स्थिति बद से बदतर हो जाती है।

सुश्री दक्षयानी ने कहा कि यूनियन हमारी संरक्षक है और हम अपनी शिकायतें दर्ज कराने के लिए दिल्ली तक जा सकते हैं। अपनी यूनियन को मजबूत बना कर ही हम अपनी मांगें हासिल कर सकेंगे। हम अपने घरवालों की अवहेलना करके यहाँ आये हैं। हम हमेशा समाज सुधार का कार्य करते हैं तथा इसके लिये हमें मानदेय नहीं वेतन मिलना चाहिये।

अतः आंगनवाड़ी महिलाओं से कहा जा रहा है कि काम छोड़ दें। क्योंकि अधिक उम्र हो जाने के कारण वे सहायिकाओं का काम नहीं कर सकतीं। सेवानिवृत्ति के लिये कुछ स्पष्ट प्रावधान होने चाहिये। खाद्य पदार्थों के लाने ले जाने के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं है तथा उनका किराया भी हमें प्रायः नहीं दिया जाता।

आंगनवाड़ी के लिये उपयुक्त स्थान मुहैया नहीं कराया जाता। अधिकतर आंगनवाड़ियाँ मन्दिरों के आस-पास हैं जहाँ आने में मुस्लिम सदस्यों को परेशानी होती है। कई बार गांव के गुण्डों द्वारा साइन बोर्ड भी उखाड़ लिये गए हैं और महिलाएं कहीं इसकी शिकायत भी नहीं कर सकतीं। एक बार पूरा राशन चोरी हो गया था तथा उसका भुगतान महिलाओं को करना पड़ा था। उनकी मांग है कि उन्हें यात्रा भत्ता तथा महंगाई भत्ता प्रदान किये जाए (बहुत विस्तृत क्षेत्र होने के कारण महिलाएं बस का किराया वहन नहीं कर सकतीं)।

विभिन्न सदस्यों द्वारा उठाये गये प्रश्नों व समस्याओं के जवाब में मारुति मानपाडे (अध्यक्ष) ने कहा कि उनका संगठन किसी अन्य संगठन के विरुद्ध नहीं है। हम मिलकर काम कर सकते हैं तथा आंगनवाड़ी फेडरेशनें व संघर्ष समिति इस तथ्य को साबित कर देगी। उन्होंने सदस्यों से लगातार संपर्क बनाए रखने का अनुरोध किया तथा एक 23 सदस्यीय समिति गठित की गयी। यह समिति जनवरी 1992 की बैठक में अपना नया अध्यक्ष चुनेगी। उन्होंने सदस्यों से 5 मार्च के कार्यक्रम की तैयारी करने को कहा जिससे उन्हें अपनी समस्याओं के समाधान में सहायता मिलेगी।

महंगाई का दानव

वित्तीय घाटे को 6.5 फीसद तक नीचे ले आने की हालांकि वित्त मंत्री जीतोड़ कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने मुद्रास्फीति को रोकने के लिए अभी तक कोई कदम नहीं उठाये हैं। इस वित्तीय वर्ष के आखिर तक मुद्रास्फीति की दर 15 फीसद तक पहुंच जाने की आशंका है।

अब तक लगभग यह तय हो चुका है कि मुद्रास्फीति की दर को 9 फीसद तक रखने का लक्ष्य इस साल तक हासिल नहीं किया जा सकेगा।

विशेषज्ञों का कहना है कि अगर सरकार ने दैनिक उपभोग की वस्तुओं की कीमतों को बढ़ने से नहीं रोका, तो मुद्रास्फीति की मौजूदा सालाना दर के 15 फीसद तक पहुंच जाने का अंदेशा है। यह दर सभी वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित है और अभी इसकी दर 13 फीसद है।

एक सरकारी विश्लेषण के अनुसार जब नरसिंह राव सरकार सत्ता में आयी थी, उस समय जुलाई 1991 में मुद्रा स्फीति की दर 13 फीसद थी। राव सरकार के सत्ता में आने के 100 दिन बाद मूल्य सूचकांक 3.7 फीसद बढ़ गया है और 150 दिन बाद नवंबर में मूल्य-सूचकांक बढ़कर 3.8 फीसद हो गया।

इस तरह अपने चुनाव घोषणापत्र के अनुसार कांग्रेस (आइ) की सरकार कीमतों को जुलाई 1990 के स्तर पर वापस ले जाने में बुरी तरह असफल रही है। इतना ही नहीं, सरकार को शायद यह भी पता नहीं कि रोजमर्रा की जरूरियात की 100 चीजों के दाम किस हद तक बढ़ गये हैं।

राव सरकार के सत्ता में आने के पहले 100 दिन में खाने-पीने की चीजों का सूचकांक 5 फीसद बढ़ गया।

इसी तरह मिर्च-मसालों की कीमतें 17 फीसद, खाने-पकाने के तेलों की कीमतें 3.5 फीसद, ईंधन, की कीमतें 3.7 फीसद, उत्पादित मालों की कीमतें 3.5 फीसद, बिजली की कीमतें 1.6 फीसद और उर्वरकों की कीमतें

25 फीसद बढ़ गयीं।

राव सरकार के सत्ता में आने के पहले 150 दिन में अनाज की कीमतें 12.6 फीसद, मिर्च-मसालों की कीमतें 17 फीसद और खाने-पकाने के तेल की कीमतें 6 फीसद बढ़ गयीं।

रोजमर्रा की जरूरियात की एक सौ चीजों पर एक नजर डालने से साफ हो जाता है कि सरकार इनमें से 64 चीजों की कीमतों को तेजी से बढ़ने से नहीं रोक पायी है। जुलाई से सितंबर महीनों के बीच इन 64 चीजों की कीमतों के मामले में मुद्रास्फीति की दर दो अंकों में पहुंच गयी। लेकिन, जो सबसे चिंताजनक बात है, वह यह कि इनमें से भी 36 चीजों की कीमतों के मामले में मुद्रास्फीति की दर 20 फीसद तक पहुंच गई।

इन 36 चीजों में आटे की कीमतें 21 फीसद, वनस्पति घी की कीमतों में 22 फीसद, गेहूं की कीमतों में 23 फीसद, मूंगफली के तेल, चावल और उड़द की दाल की कीमतों में 25 फीसद, नमक की कीमतों में 27 फीसद, आयातित तेलों की कीमतों में 36 फीसद, आलू की कीमतों में 40 फीसद, ज्वार की कीमतों में 44 फीसद, नारियल की कीमतों में 51 फीसद, मकई की कीमतों में 58 फीसद, हल्दी की कीमतों में 130 फीसद और सूखी मिर्च की कीमतों में 218 फीसद की बढ़ोतरी हुई।

इस बेहद परेशान करने वाले परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय जल्द ही प्रधान मंत्री को एक ज्ञापन देने जा रहा है।

विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार आलू और प्याज की खुदरा कीमतों को नियंत्रित करने की कोशिशें कर रही है। लेकिन जांच करने पर पता चला कि इन चीजों की कीमतों पर बाजार की शक्तियों का कोई खास असर नहीं पड़ता।

वास्तव में तीन मोर्चों पर कीमतों में इस बढ़ोतरी का असर पड़ रहा है। इसके चलते स्रोत घट रहे हैं और आयातों के लिए दबाव बढ़ रहा है। तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि उत्पादकों, व्यापारियों और सरकार के बीच एक धुरी बन गयी है। जिसका काम व्यापारियों और पार्टी नेताओं को लाभ पहुंचाना है।

विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार शायद इसकी ज्यादा परवाह नहीं करती कि उपभोग की निम्नतम इकाई में लिए मुद्रास्फीति उच्चतम स्तर पर है। वास्तव में उपभोग की मात्रा तय करेगी कि उपभोक्ता कितना खर्च कर सकता है। इसका अर्थ यह हुआ कि खर्च करने की प्रवृत्ति जितनी कम होगी, उतनी ही अधिक कीमत उपभोक्ता को अदा करनी होगी।

इस सिलसिले में जो एक सवाल बार-बार पूछा जा रहा है। यह है कि क्या सरकार जिस तरह आइ एम एफ को विश्वास दिलाने के लिए वित्तीय घाटे को कम करने की कोशिश कर रही है, उसी तरह मुद्रास्फीति पर काबू पाने की कोशिश नहीं कर सकती? बहुत गंभीर किस्म की मुद्रास्फीति ही विकल्प हो सकती है।

(आब्जर्वर आफ बिजनेस एण्ड पोलिटिक्स से साभार)

[पृष्ठ 5 का शेष]

5000/- रु० मुआवजा मिलना था, एक शादी में रामपाल से मिली। हालांकि उसे पहले चेतावनी दे दी गयी थी कि रामपाल की पहली पत्नी जलने से मरी है लेकिन इसके बावजूद उसने रामपाल से शादी की। रामपाल को केवल 5,000 से संतोष नहीं हुआ तथा उसने और पैसे के लिए उसे परेशान करना शुरू किया तथा अन्त में उसे जलाकर मार डाला। अदालत ने इसे आत्महत्या बताया। इस मामले में भी अभियुक्त ने अपने परिवार व बच्चों का वास्ता देकर नर्मी की मांग की तथा उसे केवल 5000/- रु० जुर्माना तथा 5 वर्ष की बामशक्कत कैद की सजा मिली।

पारिवारिक झगड़े तथा महिलाओं के खिलाफ अपराध भी पर्याप्त गंभीरता से नहीं लिए जाते। दिल्ली प्रशासन का निर्देश है कि जांच पड़ताल कम से कम सहायक आयुक्त स्तर के किसी अधिकारी द्वारा की जानी चाहिये तथा बाद में उसकी समीक्षा उपायुक्त स्तर के अपराधी द्वारा होनी चाहिये।

यह भी कहा गया है कि सहायक पुलिस आयुक्त की पूर्वानुमति के बिना कोई जांच बन्द नहीं की जानी चाहिए। तथा जांच की प्रगति की समीक्षा उपायुक्त को हर सप्ताह करनी चाहिये।

इस पुरुष समाज में महिलाओं के लिए विवाह आवश्यक समझा जाता है, उन पर घर के अन्दर होने वाले अत्याचार बाहर की समस्याओं से कहीं ज्यादा हैं। एक जाना-माना अपराधी भी अपने लिए पत्नी ढूंढने में सफल हो जाता है

16-17 सितम्बर का सम्मेलन व प्रचार अभियान

यूनियनों ने 16-17 सितम्बर 1991 को दिल्ली में हुए सम्मेलन के तुरन्त बाद अपना प्रचार अभियान आरंभ कर दिया। बंग्लौर-कार्यशाला के बाद प्रचार अभियान में तेजी आ गयी। एयर इंडिया व इंडियन एयरलाइंस के केन्द्रीय कार्यालय ने अपनी तमाम क्षेत्रीय यूनियनों को अपना प्रचार अभियान आरंभ करने के लिए पहले ही निर्देश दे दिये थे। महासचिव द्वारा हड़ताल का औपचारिक नोटिस भी दिया गया। दोनों एयरलाईनों में द्वार-संभाएं की गयीं। कर्मचारियों ने प्रस्तावित निजीकरण तथा आर्थिक-औद्योगिक व समापन नीति (Exit Policy) के परिणामों की गंभीरता को समझा। पूरे प्रचार अभियान के दौरान पेंशन, महँगाई भत्ता आदि के मुद्दे पृष्ठभूमि में पहुँच गये तथा सरकारी नीतियों का प्रमुख मुद्दा उभर कर आया। बंग्लौर कार्यशाला में भाग लेने के बाद कर्मचारियों को बंग्लौर व मद्रास में भी सम्बोधित किया गया।

सरकारी क्षेत्र की अन्य इकाइयाँ

सी.पी.एस.टी.यू. बम्बई के मंच का प्रयोग बम्बई की सरकारी क्षेत्र की सभी यूनियनों के हड़ताल की तैयारियों के आह्वान के लिए किया गया। एक संवाददाता-सम्मेलन आयोजित किया गया। संवाददाता-सम्मेलन में जी.आई.सी., एल.आई.सी., उर्वरक व बेंक अधिकारियों की यूनियनें शामिल थीं। उसको व्यापक प्रचार मिला। सी.पी.आई. समर्थक यूनियनें ने उस मंच पर भागेदारी नहीं की इसी प्रकार जहाँ तक सरकारी क्षेत्र का सवाल है एच.एम.के.पी., एच.एम.एस., बी.एम.एस. व शिवसेना भी अलग रहीं। एच.एम.के.पी. की यूनियनों ने हड़ताल में हिस्सा नहीं लिया। इसी प्रकार एच.एम.एस. से सम्बद्ध 'एयर इंडिया एम्प्लॉइज गिल्ड' ने भी हड़ताल में भाग नहीं लिया, लेकिन इसके नेताओं ने मांगों का समर्थन करते हुए एक वक्तव्य जारी किया।

जेल-भरो आंदोलन में भागेदारी

'जेल-भरो' के लिए जबर्दस्त प्रचार अभियान चलाया गया। 'एयर लाइंस' के इतिहास में पहली बार 120 कार्यकर्ताओं ने 'जेल-भरो' में भाग लिया। एयर लाइन्स द्वारा जेल-भरो में भारी संख्या में भागेदारी का बहुत प्रभाव पड़ा क्योंकि भाग लेने वाले कार्यकर्त्ता भाजपा, शिवसेना आदि विभिन्न राजनैतिक विचारधाराओं से सम्बन्ध रखते थे। कुल मिलाकर विभिन्न विचारधाराओं से सम्बन्ध रखने वाले 7000 कर्मचारियों ने मोर्चे/जेल भरो में भाग लिया।

शिवसेना द्वारा हड़ताल तोड़ने की कार्रवाई तथा इसका प्रभाव

28 नवम्बर को समाचार पत्रों में शिव सेना प्रमुख का वक्तव्य प्रकाशित हुआ जिसमें कहा गया था कि यह वामपंथियों द्वारा प्रयोजित हैं तथा यह राष्ट्रीय हित में नहीं है। 29-11-91 को शिव सेना के मुखपत्र में शिव सेना प्रमुख की तस्वीर के साथ यह वक्तव्य प्रकाशित हुआ। स्थानीय लोकाधिकार समिति के नेताओं ने भी हड़ताल तोड़ने की अपील करते हुए एयरलाइंस कर्मचारियों को सम्बोधित किया। एयरलाइन स्थानीय लोकाधिकार समिति के पदाधिकारियों उक्त निर्देश के साथ ही एक पर्चा जारी किया जिसमें अपने कैडर से हड़ताल में शामिल न होने तथा काम पर पहुँचने की अपील की गयी थी। निर्देश की फोटो-प्रतियाँ बांटी गयीं तथा परिसर में जहाँ-तहाँ चिपकायी गयीं। उन्होंने अपने नोटिस बोर्ड पर शिव सैनिकों को काम पर जाने के लिए नोटिस भी चिपकाया।

हड़ताल की सफलताएं

इंडियन एयरलाइन्स में लगभग संपूर्ण हड़ताल रही। शिव सेना द्वारा जारी किये गये निर्देश का कोई प्रभाव नहीं हुआ। उनके कैडर में, जो हड़ताल तोड़ने के निर्देश के साथ परिसर में गया था, खुद मतभेद पैदा हो गया। उनके निर्देश का प्रभाव केवल दर्जन-भर लोगों पर ही पड़ा। अत: 29 नवम्बर श्रमिक संघों के लिए एक ऐतिहासिक दिन था क्योंकि उस दिन शिव सेना के राजनैतिक

हमले पर उनकी विजय हुई। खुद शिव सेना-भाजपा के कर्मचारियों ने हड़ताल में भाग लिया। कर्मचारियों में यह माँग बढ़ती जा रही है यूनियन के संविधान के तहत हड़ताल के दौरान काम पर पहुँचने वाले मुट्ठी भर लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाये। अब तत्व बौखला गये हैं तथा कर्मचारियों से यह अपील करते फिर रहे हैं कि वे किसी अनुशासनात्मक कार्रवाई का समर्थन न करें। लेकिन कर्मचारियों ने उनके प्रति कोई सहानुभूति व्यक्त नहीं की। 'इंडियन एयरलाइन्स' में यह तस्वीर उभर रही है।

एयर इंडिया में आंशिक हड़ताल

'एयर इंडिया' में हड़ताल आंशिक रूप से सफल रही क्योंकि हम केवल यूनियन के सदस्यों को ही हड़ताल की ओर आकर्षित कर सके। कैंटीन, चिकित्सा व परिवहन सुविधाओं के ठप्प होने का असर अवश्य पड़ा, जहाँ के कर्मचारियों ने पूरी तरह हड़ताल रखी। शिव सेना द्वारा जारी निर्देश, एच.एम. यूनियनों द्वारा हड़ताल में भाग न लेने व ऐन मौके पर भ्रम पैदा किये जाने का विपरीत प्रभाव पड़ा।

हड़ताल के बाद की स्थिति

हड़ताल के बाद कर्मचारियों की एकता और मजबूत हुई है। 'क्राफ्ट यूनियनों' जैसे तकनीकी कर्मचारियों की यूनियनों द्वारा हड़ताल में शामिल न होने के फैसले से भी कर्मचारी नाखुश हैं। मजदूर 29 नवंबर की हड़ताल की संयोजक समिति के अगले फैसलों की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा भूख हड़ताल समाप्त

महाराष्ट्र स्टेट आंगनवाड़ी एम्प्लायीज़ यूनियन की 25 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी सेवाओं को पूर्ण रूप से सरकारी नौकरी के रूप में मान्यता देने की माँग को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की थी।

चर्चगेट स्टेशन के पास जमा होकर इन कार्यकर्ताओं ने, जो पार्ट टाइम सामाजिक कार्यकर्ताओं के रूप में काम कर रही हैं, पूर्णतः सरकारी कर्मचारी के रूप मान्यता तथा वेतन मान व सभी समान भत्तों की मांग की।

"हालांकि हमें पार्ट-टाइम सामाजिक कार्यकर्ता कहा जाता है हम प्रतिदिन 4-5 घण्टे काम करती हैं। हमें कक्षाएं लेने के लिए दूर-दूर जाना पड़ता है ताकि लोगों को परिवार नियोजन के बारे में समझा सकें।" आसनगांव, शाहपुर ताल्लुका की रजनी ठक्कर ने शिकायत करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को महंगाई, भत्ता, यात्रा भत्ता व अवकाश आदि की कोई व्यवस्था नहीं है।

ठाणे की 52 वर्षीय पार्वती पालवकर ने 110/- रु० प्रति माह पा रही हैं कहा कि ऐसी अनेक महिलाएं हैं जो 300/- प्रति माह के वेतन पर बिना किसी पेंशन योजना के सेवा-निवृत हो रही हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने पेंशन योजना की मांग की है। एक मैट्रिक पास आंगनवाड़ी सेविका को 225/-रु० तथा सहायिका को 110/ रु० मिलते हैं।

यूनियन सचिव एम. ए. पाटिल ने कहा कि दीवाली के अवसर पर आंगनवाड़ी महिलाओं ने एक मुश्त भुगतान की मांग की है। देश भर की आंगनवाड़ी महिलाएं 1990 में बनी आल इंडिया आंगनवाड़ी कर्मचारी ज्वाइंट एक्शन कमेटी के परचम तले संगठित हैं।

समाज कल्याण राज्य मंत्री रामदास अथवाले ने आंगनवाड़ी महिलाओं की समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया है।

आंगनवाड़ी महिलाओं की हड़ताल समाप्त

यहाँ सोमवार को महाराष्ट्र राज्य आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी छः दिन पुरानी अनिश्चितकालीन हड़ताल समाप्त कर दी।

संघ के महासचिव बृजपाल सिंह वागले के अनुसार यह फैसला संघ के प्रतिनिधियों द्वारा संबद्ध मंत्री श्री शिवाजी राव देशमुख से मुलाकात करने के बाद लिया गया।

श्री देशमुख ने राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में मांग-पत्र पर किसी ठोस फैसले का आश्वासन दिया।

श्री वागले ने आगे बताया कि मंत्री महोदय ने विचार-विमर्श के लिए प्रतिनिधियों को 13 नवंबर को बुलाया है।

फ्री प्रेस जर्नल, 6.11.91

आंगनवाड़ी महिलाओं की संयुक्त संघर्ष समिति

आंगनवाड़ी महिलाओं के बीच सक्रिय विभिन्न श्रम संगठनों की बम्बई (महाराष्ट्र) सीटू कार्यालय में 10 नवंबर '91 को 11.00 बजे (प्रातः) बैठक हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य मौजूद थे—

कॉ. मधुबनी (एच.एम.एस.), कॉ. विद्या कोरे (एटक), कॉ. एन.ए. पाटिल, कॉ. शिव शंकर, कॉ. बृजपाल सिंह बघेल, कॉ गोहेल (सभी ए.बी.ए.के.एस. से) कॉ. रंजीत बसु, कॉ. अहिल्या रांगनेकर, कॉ. किरण मोघे, कॉ. डी. कादव व कॉ. विमल रणदिवे (सभी सीटू से)। ए.बी. के संघ से जुड़ी कुछ आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने भी बैठक में भाग लिया।

बैठक का प्रमुख विषय बजट सत्र में फरवरी-मार्च के कार्यक्रमों के बारे में विचार करना था।

समिति की संयोजक कॉ. विमल रणदिवे ने पिछले तीन माह के कामकाज के बारे में जानकारी दी।

संघर्ष समिति का एक प्रतिनिधि मंडल व कॉ. समर मुखर्जी वित्तमंत्री डॉ. मनमोहन से मिला व उन्हें एक ज्ञापन दिया। प्रतिनिधिमंडल कल्याण विभाग के सचिव श्रीमती मीनाक्षी चौधरी से भी मिला। हालांकि रपटों के मुताबिक आंगनवाड़ी महिलाओं के लिए बजट अनुदान की जानकारी वित्तमंत्री को पहुँचा दिये गये हैं, लेकिन अभी तक इस संबंध में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी।

उन्होंने कहा कि बजट सत्र के दौरान कार्यक्रम के बारे में घटना, भूखहड़ताल व प्रदर्शन आदि के अनेक सुझाव हैं तथा सदस्य इन पर अपनी राय दें, उन्होंने आंगनवाड़ी के निजीकरण की सरकारी योजनाओं के बारे में भी बताया जिनसे स्थिति और खराब हो जायेगी।

कॉ. रंजीत बसु (सीटू) ने कहा कि हमने देश में संगठन का एक बेहतर स्तर प्राप्त कर लिया। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। हमें विश्व बैंक व मुद्रा कोष के निर्देश पर बनायी गयी सरकार की आर्थिक नीतियों को भी ध्यान में रखना चाहिए। वे अब सरकार से कल्याण कार्यक्रमों को समाप्त करने की माँग कर रहे हैं। उसका परिणाम निजीकरण होगा जो हमारे हितों के प्रतिकूल होगा। उन्होंने कहा कि आँगनवाड़ी महिलाएं मजदूर आंदोलन का एक हिस्सा हैं व उन्हें एक संगठित मजदूर आन्दोलन के साथ जुड़ना चाहिए। संगठन तथा उत्साह को बनाये रखने के लिए कुछ माँगों को हासिल करना जरूरी है।

बैठक में विचार-विमर्श के बाद निम्न कार्यक्रम पर सहमति हुई—

1. जहाँ कहीं संभव हो 29 नवंबर का समर्थन।

2. एक 'समान' ज्ञापन पर सांसदों व विधायकों को साथ लेना।

3. सांसद इन मुद्दों को संसद में उठाएँ।

4. बजट सत्र के पहले मुख्य मंत्री को एक ज्ञापन दिया जाये—

5. 6 मार्च को प्रधानमंत्री निवास पर प्रदर्शन, धरना व जेल भरो आन्दोलन।

6. इसके साथ ही साथ ब्लाक/तहसील/कलक्टर स्तर पर भी प्रदर्शन।

7. महिलाओं से संबंधित प्रावधानों को लागू करवाने के लिए राज्य स्तरीय संयुक्त कार्यक्रम। बैठक में फैसला किया गया कि राज्य सरकारों (विशेषकर पश्चिम बंगाल, केरल, पंजाब व महाराष्ट्र की सरकारों) द्वारा जारी किये गए विभिन्न परिपत्र संघर्ष समिति केन्द्र को तथा अन्य राज्यों को भेजे जायें। आँगनवाड़ी महिलाओं की रपट केन्द्र को भेजना बन्द करने के श्री पाटिल के फैसले पर भी विचार होना चाहिए। कॉ. रंजीत बसु ने सुझाव दिया कि विचार-विमर्श के बाद प्रतिक्रियाएं जानने के लिए भेजना चाहिए।

समिति की संयोजक कॉ. विमल रणदिवे द्वारा विचार-विमर्श के समापन के बाद निम्नलिखित कार्यक्रम स्वीकार किये गये—

1. 4.5 मार्च को प्रधानमंत्री निवास पर धरने के बाद 6 मार्च को गिरफ्तारी व इसके बाद एक प्रतिनिधि-मंडल प्रधानमंत्री से मिलेगा।

2. विभिन्न संगठन अपनी तैयारियां व आर्थिक

मसलों की जिम्मेदारी स्वयं लें।

3. तैयारियों की जिम्मेदारी मुख्य रूप से एन.एफ. टी.यू. दिल्ली व पड़ोसी राज्यों की होगी। कुछ संगठनों ने लगभग 800 महिलाओं को लामबन्द करने का कोटा निर्धारित कर लिया है।

4. विभिन्न सांसदों व विद्यायकों से प्रधानमंत्री के संबोधित पत्रों पर हस्ताक्षर एकत्र किये जायें। एक प्रतिनिधिमंडल मुख्य मंत्रियों से मिले इससे पहले कि वे वित्त मंत्री द्वारा बुलाये गये मुख्य मंत्रियों की बजट-पूर्व बैठक में शामिल हों। भिन्न-भिन्न सांसदों द्वारा प्रधानमंत्री को लिखे गये ये पत्र 6, तालकटोरा रोड के पते पर 15 दिसम्बर तक अवश्य भेज दिये जायें ताकि उन्हें लेकर प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री से 19 दिसम्बर तक अवश्य मिल सके।

5. केन्द्र द्वारा परिपत्र व निर्देश संबद्ध संगठनों को भेजे जायें।

6. संघर्ष समिति द्वारा बम्बई में तैयार किया गया ज्ञापन सभी संगठनों को दिया गया ताकि वे उसे मुख्य मंत्रियों को दे सकें व स्थानीय सांसदों द्वारा उन पर हस्ताक्षर करा के उन्हें प्रधानमंत्री को भेज सकें।

संयुक्त संघर्ष समिति की बैठक

14.1.92 को सीटू कार्यालय में संयुक्त संघर्ष समिति की एक बैठक शाम 5.00 बजे हुई। इस बैठक में केन्द्रीय श्रम संगठन के निम्नलिखित प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

(1) का० मुकुन्द कोलाटकर (2) का० किरण अरोड़ा (3) का० सुधा एच. एम. एस. से (4) एटक से का० के. एल. महेन्द्र व का० वी. डी. जोशी (5) एन.एफ. टी. यू. से का० हुकुम सिंह (6) का० रंजीत बसु (7) का० विमल रणदिवे (सीटू)

संयुक्त समिति के प्रतिनिधि मंडल के प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के बाद 26.12.91 को हुई संघर्ष समिति की बैठक में लिये गये निर्णयों के बारे में का० विमल रणदिवे ने सदस्यों को बताया। सदस्यों को परिपत्र मिल चुके हैं। विचार विमर्श के बाद श्रमिक प्रतिनिधियों द्वारा निम्न फैसलों पर सहमति हुई—

1. 5 मार्च को 12 बजे बोट क्लब पर आंगनवाड़ी महिलाओं का धरना। सभी महिलायें सीधी बोट क्लब पहुंचें।

2. धरने के अध्यक्ष मंडल में सभी श्रमिक संघों का एक-एक प्रतिनिधि होगा।

3. 12-1 बजे के बीच सभी संगठनों से एक-एक सांसद धरने को सम्बोधित करेंगे।

4. निर्धारित वक्ताओं के अतिरिक्त, यदि समय बचा तो कुछ ही वक्ताओं को बोलने की अनुमति दी जायेगी।

5. गिरफ्तारी का कार्यक्रम 3 बजे जत्थों में शुरू होगा, जिसमें विभिन्न संगठनों के झंडे संघर्ष समिति के बैनर तले ही होंगे।

6. दरी, कुर्सियों, माइक आदि का खर्चा सभी संगठनों द्वारा मिलकर उठाया जायेगा।

7. 'एटक' कार्यालय में 28 तारीख को 3 बजे संवाददाता सम्मेलन होगा जिसमें संघर्ष समिति भाग लेगी। यह सम्मेलन 27 ता. को सीटू ऑफिस में होगा।

8. पांचवें कार्यक्रम की अन्तिम तैयारियों पर विचार करने के लिए संघर्ष समिति की बैठक 27 तारीख को सीटू कार्यालय में 3 बजे होगी।

9. महिलाओं की भागेदारी के बारे में तय हुआ कि दिल्ली के कार्यक्रम में 6000 महिलाएं भाग लेंगी तथा ऐसी ही कार्यक्रम अन्य राज्यों व जिलों में भी, उनकी सुविधा के अनुसार, होंगे।

10. धरने व गिरफ्तारी में शामिल होने वाले लोग उसी दिन वापस लौट जायेंगे तथा इसका प्रबंध उनके नेतृत्व द्वारा किया जायेगा।

इसके बाद धन्यवाद प्रस्ताव के साथ बैठक समाप्त हुई।

पढ़ें

कामकाजी महिला

(हिन्दी द्विमासिक पत्रिका)

कीमत : एक प्रति : 2 रुपये

वार्षिक चन्दा : 12 रुपये

अपनी प्रतियों के लिए हमें लिखें :

सी आई टी यू 6, ताल कटोरा रोड

नई दिल्ली-110001

घरेलू काम : बेहतर संरक्षण की आवश्यकता

औद्योगिक घरेलू काम का अस्तित्व एक शताब्दी से ज्यादा से है तथा अब विकासशील देशों में इसकी मांग और बढ़ गयी है। बढ़ती हुई कम्प्यूटर टैक्नोलॉजी से विभिन्न क्षेत्रों में इसकी मांग और बढ़ गयी है।

यह स्थायी रोजगार का एक विकल्प है। विश्व के विभिन्न भागों में बढ़ती हुई बेरोजगारी के मद्दे नजर यह उन लोगों के लिए आय का साधन बन गया है जिन्हें स्थायी रोजगार उपलब्ध नहीं है।

घरेलू काम—कम वेतन

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में इस बात की ओर इशारा किया गया कि 'घरेलू काम के लिए वेतन बेहद कम है।' "चूंकि घरेलू कर्मचारी अलग-थलग होते हैं तथा बेरोजगारी की भयंकर समस्या को देखते हुए घरेलू कर्मचारी सौदेबाजी की स्थिति में नहीं होते तथा उन्हें जो दिया जाता है वही उन्हें स्वीकार करना पड़ता है।

इस अलगाव के कारण ही उन कर्मचारियों की स्थिति अत्यन्त शोचनीय है तथा उन्हें राष्ट्रीय प्रावधान द्वारा सुरक्षा प्रदान किये जाने की आवश्यकता है।

मालिक-संगठन आमतौर पर घरेलू काम के पक्ष में हैं क्योंकि उनका मानना है कि इससे दोनों पक्षों के लिए लाभदायक है तथा महिलाओं के लिए यह विशेष रूप से लाभदायक है क्योंकि इससे उन्हें अपनी व्यावसायिक गतिविधियों तथा पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच तालमेल बैठाने में सुविधा होती है।

दूसरी ओर श्रम संगटनों का मानना है कि घरेलू काम में कर्मचारियों के लिए कोई रोजगार सुरक्षा नहीं है तथा उन्हें पूरी तरह से मालिकों की कृपा पर निर्भर रहना पड़ता है। उनका तर्क यह है कि वर्तमान परिस्थिति अब तक हासिल किए लाभों को भी खतरे में डालती है।

इस बारे में सरीक जानकारी हासिल करना काफी मुश्किल है क्योंकि बहुत कम देशों ऐसे आंकड़े मिलते हैं। संभवतः सभी देशों में इस स्तर पर कुछ ग़ैर कानूनी काम भी होता है जिसके आंकड़े नहीं रखे जाते तथा इसी कारण ऐसे कर्मचारियों की सही संख्या का पता लगाना बेहद मुश्किल है।

अध्ययन में कहा गया है कि 'रुझान स्पष्ट रूप से पता लगता है। हर स्तर पर बढ़ती हुई बेरोज़गारी को देखते हुए, श्रम बाजार में प्रवेश की कठिनाइयों के मद्देनजर 'घरेलू काम' आय का एक महत्वपूर्ण साधन बनता जा रहा है। उसके साथ ही उद्योगों पर लागत कम रखने के दबाव को देखते हुए तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा को ध्यान में रखते हुए भी घरेलू काम का आकर्षण बढ़ा है।"

बहुत-सी बड़ी कम्पनियां ठेकेदारों को काम बांट देती हैं जो और दूसरे कई ठेकेदारों को काम दे देते हैं तथा फिर वहकाम घरों में कार्यरत हजारों कर्मचारियों तक पहुँचता है। यह प्रणाली राष्ट्रीय पर तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा [illegible] इस्तेमाल होती हैं। यह प्रवृत्ति तेजी से विश्व भर में फैल रही है।

कपड़ा उद्योग में घरेलू काम बहुत ज्यादा है। घरेलू काम में कैंची, सिलाई-मशीन धागे जैसी चीजों की ही आवश्यकता पड़तों है। चमड़ा उद्योग भी उसी प्रकार का एक व्यापक उद्योग है।

यह व्यवस्था आधुनिक उद्योगों में भी पायी जाती है। जर्मनी के इलैक्ट्रॉनिक व ऑप्टिकल उद्योगों में घरेलू कर्मचारी बहुत बड़ी संख्या में लगे हैं।

घरेलू कर्मचारियों में महिलाओं का एक बड़ा हिस्सा है

अध्ययन में कहा गया है कि अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण घरेलू काम में महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा है। घरेलू कर्मचारियों में महिलाओं का प्रतिशत ब्रिटेन में 70 प्रतिशत, स्पेन में 75 प्रतिशत, फ्रांस में 84 प्रतिशत, ग्रीस आयरलैंड, इटली, नीदरलैंड व जर्मनी में 90 से 95 प्रतिशत तक है। जापान में 1988 के एक अध्ययन में महिला घरेलू कर्मचारियों का प्रतिशत 93 प्रतिशत पाया गया। सोवियत संघ में जहां स्थानीय उद्योगों के 'घरेलू काम केन्द्र' हैं महिलाएं 86 प्रतिशत तक हैं।

पूर्वीय यूरोपीय देशों में घरेलू काम शारीरिक रूप से अशक्त लोगों को उपलब्ध कराया जाता है। सोवियत

संघ में 35 प्रतिशत घरेलू मजदूर शारीरिक रूप से अशक्त हैं जिनमें से 67 प्रतिशत महिलाएं हैं। पोलेंड में 270,000 घरेलू मजदूर 'इनवैलिड्स कॉ-ऑपरेटिव मूवमेंट' के तहत संगठित हैं।

अनेक औद्योगिक देशों में घरेलू कर्मचारियों में बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक प्रवासी लोग हैं। "अप्रवासी महिलाएं प्रायः भाषा की समस्या तथा भेद-भाव के भय से स्थायी रोजगार के लिए प्रयास भी नहीं करतीं।" अध्ययन में कहा गया है—"वे प्रायः प्रकाश में आये बिना अपने घरों में ही काम करना पसन्द करती हैं। यह स्थिति लंदन, पेरिस, बोस्टन, न्यू-यॉर्क व लॉस एंजेलस आदि में पायी गयी है।"

विकासशील देशों में घरेलू कर्मचारियों में महिलाएं बड़ी संख्या में हैं ब्राजील में कपड़ा उद्योग में अनेक महिलाएं घरेलू कर्मचारियों के रूप में कार्यरत हैं तथा इसी प्रकार भारत में बीड़ी उद्योग में 90 प्रतिशत महिलाएं हैं।

खराब कार्य स्थितियां

"यह देखा गया है कि घरेलू कर्मचारियों के रूप में कार्यरत कर्मचारियों की कार्यस्थितियाँ स्थायी रूप से कार्यरत कर्मचारियों से बदतर होती हैं।" उनका वेतन भी अत्यन्त कम होता है। फिलीपिन में एक अध्ययन से पता चला है कि घरेलू कर्मचारियों के रूप में कार्यरत कर्मचारियों का वेतन स्थायी रूप से काम कर रहे कर्मचारियों के वेतन से आधा है।

ठेका प्रणाली के कारण प्रायः औद्योगीकृत देशों में भी घरेलू कर्मचारियों का वेतन कम है।

"प्रत्येक ठेकेदार को 20 से 30 प्रतिशत कमीशन मिलता है।" अध्ययन में बतलाया गया है कि "इसका अर्थ है कि एक बच्चे की वर्दी जो 15 डॉलर में बिकती है उसके निर्माता को 10 सेंट से भी कम ही मिल पाते हैं।"

इस संबंध में वैधानिक स्थिति भी अलग-अलग देशों में अलग है। केवल कुछ ही देशों में इस सम्बन्ध में निश्चित् समझौते हुए हैं।

इन सब समस्याओं के बावजूद हाल के कुछ वर्षों में इस दिशा में कुछ प्रगति हुई है। इसका श्रेय विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों को जाता है। कार्यस्थितियों में सुधार हुआ है तथा उनके लिए सीखने के अवसर भी पैदा हुए हैं जिससे वे भविष्य में बेहतर रोजगार की ओर बढ़ सकें। इसका एक महत्वपूर्ण परिणाम इन कर्मचारियों को बिचौलियों पर निर्भरता तथा कर्ज के बोझ से मुक्ति दिला सके।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के विशेषज्ञों की एक बैठक अगले अक्टूबर में होगी जिसमें इस बारे में विचार-विमर्श किया जायेगा।

महिला सांसदों ने आवाज उठायी

आज संपूर्ण राज्य सभा ने सरकार से मांग की कि वह जीवन बीमा निगम के आवेदन-पत्र में से ऐसी अपमानजनक शर्तें हटाये, जो नारी की गरिमा के खिलाफ हैं।

जब कांग्रेस की श्रीमती जयन्ती नटराजन ने यह शर्तें पढ़ कर सुनायीं तो सम्पूर्ण राज्य सभा स्तब्ध रह गयी।

उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रश्न नारी की गरिमा का अपमान हैं तथा इसकी कठोर से कठोर शब्दों में भर्त्सना की जानी चाहिये।

उन्होंने कहा कि यह मामला प्रकाश में इस प्रकार आ गया कि जीवन बीमा निगम की सुश्री नीरा माथुर को इन प्रश्नों के बारे में गलत जानकारी देने के लिए नौकरी से निकाल दिया गया तथा वे उच्चतम न्यायालय जा पहुंचीं।

श्रीमती नटराजन ने कहा कि जीवन बीमा निगम ने ये शर्तें महिलाओं को गर्भावस्था अवकाश न देने के लिये रखीं हैं।

जैसे ही श्रीमती नटराजन ने बोलना समाप्त किया पूरे सदन ने इस पर गहरा दुख जताया तथा सरकार से इन शर्तों को हटवाने की मांग की।

सदन के अध्यक्ष डॉ. शंकर दयाल शर्मा ने कहा कि सारे सदन ने सर्वानुमति से अपनी भावनाओं का सरकार पर इजहार किया।

टाइम्स ऑफ इंडिया, 27.11.91

राष्ट्रीय सन्दर्भ में महिलाएं—एक सेमीनार

'राष्ट्रीय सन्दर्भ में महिलाएं—प्रतिनिधित्व व भागेदारी' विषय पर 'सेन्टर ऑफ सोशल रिसर्च एण्ड एबर्ट फाउंडेशन' द्वारा नई दिल्ली में 3-4 दिसम्बर को राष्ट्र स्तरीय विचार-विमर्श का आयोजन किया गया। 10 राज्यों से प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया। का. नीना राव ने ए. आई. सी. सी. डब्ल्यू. डब्ल्यू. का प्रतिनिधित्व किया।

विचार-विमर्श केन्द्र द्वारा आयोजित क्षेत्रीय कार्यशालाओं में प्राप्त अनुभव पर आधारित था जिसके बारे में बम्बई की विभूति पटेल तथा पटना की निरोज सिन्हा ने बताया।

महिलाओं द्वारा राजनैतिक प्रक्रिया में भागेदारी पर अनेक अध्ययन रिपोर्टें भी प्रस्तुत की गयीं। कर्नाटक की भूतपूर्व विधायक सुश्री लीला प्रसाद ने 'स्थानीय संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण- कर्नाटक का अनुभव' विषय पर अध्ययन रिपोर्ट रखी जिस पर अच्छा विचार-विमर्श हुआ। इसमें संसद से लेकर पंचायत स्तर तक महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण का मुद्दा भी उठाया गया। इस अध्ययन में ऐसे कोटे को पूरा करने में आने वाली समस्याओं के बारे में बताया गया था।

सुश्री सुदामिनी राव ने महाराष्ट्र की 'सम्पर्क समिति' की अध्ययन रिपोर्ट रखी। इस अध्ययन रिपोर्ट पर भी अच्छा विचार-विमर्श हुआ क्योंकि इसमें महिलाओं की संस्थाओं की विभिन्न समस्याओं के बारे में बताया गया था। इस अध्ययन में कहा गया था कि स्वायत्त महिला संगठनों व राष्ट्रीय स्तर पर महिला संगठनों में बीच अविश्वास के कारण समिति को ठेस पहुँचती है। सबकी रुचि इस महत्वपूर्ण प्रश्न में थी दोनों ग्रुपों के मेल से बनने वाले संगठन का स्वरूप क्या हो। इस सन्दर्भ में 'दिल्ली में महिलाओं का संयुक्त संघर्ष' विषय पर ज्योत्सना चटर्जी तथा 'फोरम फौर वोमेन इन पौलिटिक्स' विषय पर गौरी चौधरी द्वारा रखी गयी अध्ययन रिपोर्टें काफी महत्वपूर्ण थीं। पहले अध्ययन में यह बताया गया था कि वैचारिक मतभेदों के बावजूद किस प्रकार मिल कर काम किया जाये तथा दूसरे में इस बात पर विचार किया गया था कि राजनैतिक गुटों के साथ दबाव या परेशानी के बिना किस प्रकार काम किया जाये। दोनों अध्ययनों में यह विचार प्रकट किया गया था कि संयुक्त मंच पर संगठित कार्यक्रम चलाने से महिलाओं का स्वर बुलन्द हुआ है।

जैसा कि सुश्री रंजना कुमारी ने बताया वक्त का तकाजा महिलाओं के मुद्दों को प्रमुखता देना है। इस सन्दर्भ में 1990 के प्रावधान के कार्यान्वयन के लिए महिलाओं के लिये राष्ट्रीय आयोग के गठन पर सहमति व्यक्त हुई व यह फैसला किया गया कि आयोग के गठन के लिए राज्यों के मुख्य मंत्रियों को तार भेजे जायें। सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण की मांग के लिये जोर डालने का भी निश्चय किया गया। ऐसे सदस्यों की संख्या बहुत कम थी जिन्होंने जिला स्तर आयोगों के विकेन्द्रीकरण व केवल पंचायत व म्यूनिसियल स्तर पर आरक्षण रखने के विचार व्यक्त किये।

यह महसूस किया गया कि कुल मिलाकर आरक्षण से शक्ति दलितों आदिवासियों व मजदूर महिलाओं के हाथ में न आ कर वह राजनीतिकों के हाथ में सीमित रहेगी।

यदि राष्ट्रीय आयोग का गठन न हुआ तो 8 मार्च (अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस) को घेरने का कार्यक्रम बनाया गया।

बाल-मजदूरी पर प्रतिबन्ध :

29 नवम्बर को 'चाइल्ड लेबर ऐक्शन नेटवर्क' (सी. एल. ए. एन.) की तीसरी राष्ट्रीय वार्षिक बैठक हुई। बैठक में विशेष बल एन. जी. ओ. व सरकारी एजेन्सियों के संयुक्त प्रयासों से बाल मजदूरी को समाप्त करने पर दिया गया।

योजना आयोग के सदस्य डॉ. चित्रा नायक ने कहा कि त्रुटिपूर्ण सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था ही बाल-मजदूरी में होने वाली वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। बच्चों को उनके बचपन के अधिकारों से वंचित रखना एक अपराध है। उन्होंने कहा कि चूंकि समाज ने महिलाओं को समाज में उनके स्थान और सम्मान से वंचित किया है अतः बाल-मजदूरों के प्रति हिंसा बढ़ रही है। अधिकतर बाल-मजदूर उन्हीं घरों से आते हैं जहाँ महिलाएं अशिक्षित होते हैं।

सी. एल. ए. डब्ल्यू. के संयोजक श्री जे. गेटे ने [शेष पृष्ठ 18 पर]

आंगनवाड़ी श्रमिक संघ प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री से मिला

27 दिसम्बर 1991 को आंगनवाड़ी महिलाओं की मांगों के संबंध में एक ज्ञापन देने के लिए का० समर मुखर्जी के नेतृत्व में सीटू, एटक, एन. एफ. टी. यू., एच. एम. एस. व अन्य संगठनों का एक प्रतिनिधि मंडल प्रधान मंत्री से मिला। प्रतिनिधिमंडल में का० विमल रणदिवे, का० एम. ए. पाटिल, बी. के. प्रसाद. बी. डी. जोशी तथा मंजू मोहन शामिल थीं। ज्ञापन बाद में दिया गया प्रेस वक्तव्य यहां प्रकाशित किया जा रहा है—

प्रिय श्री नरसिम्हाराव जी,

आई. सी. डी. एस. कामगारों की अत्यंत विषम परिस्थितियों के बारे में आपको जानकारी तथा आपसे मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध करने हेतु हम लगभग सभी श्रम संगठनों के प्रतिनिधि यहां आए हैं।

आंगनवाड़ी महिलायें देश भर में ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की दशा सुधारने, बच्चों को शिक्षा देने व उनके स्वास्थ्य व भोजन की सही व्यवस्था के लिए काम कर रही हैं। हमें केन्द्र सरकार का कर्मचारी होना चाहिए लेकिन हमें सामाजिक कार्यकर्ता समझा जाता है तथा कार्यकर्त्ताओं व सहायकों को क्रमशः रु० 275/- तथा 110/- रु० का मानदेय प्रदान किया जाता है। आप समझ सकते हैं कि इस राशि पर पर कोई व्यक्ति कैसे रह सकता है। इस संबंध में लागू किए जाने वाले केन्द्र सरकार के प्रावधान भी अनेक राज्यों में लागू नहीं किए गये हैं।

अतः आई. सी. डी. एस. योजना के अन्तर्गत कार्यरत लाखों महिलाओं की ओर से आपके सामने निम्नलिखित मांगें रख रहे हैं तथा हमें आशा है कि आप इन पर विचार करेंगे।

मांगें—

1. आंगनवाड़ी सेविकाओं व सहायिकाओं को केन्द्र सरकार की कर्मचारी के तौर पर नियमित करना।
2. आंगनवाड़ी सेविकाओं व सहायिकाओं के लिए न्यूनतम वेतन।
3. 1991-92 के बजट में बनाये गये प्रावधानों को तुरन्त लागू किया जाना।
4. केन्द्र सरकार के सभी परिपत्रों का कार्यान्वयन।
5. आंगनवाड़ी परियोजना का निजीकरण न हो व उन्हें स्वयंसेवी संस्थाओं को न सौंपा जाये।

हमें आशा है कि सरकार इन वाजिब मांगों को पूरा करने के लिए जल्द ही कोई कदम उठायेगी।

पांडिचेरी की आंगनवाड़ी महिलाओं ने मानदेय का बहिष्कार किया

पांडिचेरी राज्य आंगनवाड़ी स्टाफ की सचिव पी० शशिकला द्वारा मुख्य मंत्री को निम्नलिखित ज्ञापन दिया गया—

महोदय,

अपने पिछले पत्र के ही सन्दर्भ में जिसमें हमने दीपावली के अवसर पर आई सी डी एस कर्मचारियों को मिलने वाली राशि के संबंध में 29.11.91 को हड़ताल की बात कही थी, हम आपको बताना चाहते हैं कि हमने हड़ताल का कार्यक्रम बदल दिया है तथा अब यह हड़ताल 2-12-1991 को है। हमने 28-11-91 को मानदेय का बहिष्कार किया था।

इस सन्दर्भ में हम यह कहना चाहते हैं इस किस्म की कार्रवाई हमारी बहुत अधिक इच्छा नहीं है लेकिन हमारे पास कोई अन्य विकल्प भी नहीं है। दीपावली के अवसर पर देय राशि से 100/- रु० तथा 50/- का भुगतान समझौते की भावना के विरुद्ध है। इसी समझौतों के आधार पर हमने अपना अनशन का कार्यक्रम बदला था। हमारा कहना है कि सरकार आंगनवाड़ी महिलाओं को मिलने वाली राशि को जल्द से जल्द नियमित बनाये। हम आपसे एक बार फिर अनुरोध करते हैं कि आप इस बारे में विचार कर आंगनवाड़ी महिलाओं को वाजिब राशि का भुगतान तुरन्त करें। यदि ऐसा नहीं किया गया तो हम अन्य ज्वलंत मांगों को भी अपने मांग पत्र में शामिल करेंगे।

हमें आशा है कि सरकार हमारे आन्दोलन की सही परिप्रेक्ष्य में देखेगी तथा हमारी वाजिब मांगों को स्वीकार करेगी।

बिहार राज्य की आंगनवाड़ी सेविकायें अपनी सेवा के सरकारीकरण हेतु मर मिटेंगी

बिहार राज्य आंगनवाड़ी सेविका सहायिका कर्मचारी संघ की एक आपात बैठक दिनांक दिनांक 9-11-91 को लोक स्वास्थ्य संस्थान, अशोक राजपथ, पटना में संघ के अध्यक्षा श्रीमती सुशीला देवी की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। संघ की महामंत्री श्रीमती शांति मिश्रा ने बैठक को सम्बोधित करते हुए कहा 1988 के राज्यव्यापी हड़ताल के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री भागवत झा आजाद ने आंगनवाड़ी सेविका एवं सहायिकाओं की सेवा का सरकारीकरण करने का आश्वासन दिया था किन्तु आज तक इस पर कोई भी कारवाई नहीं हुई। आज वामपंथी दल की सरकार बनने के बावजूद हम आंगनवाड़ी सेविका एवं सहायिकाओं की नौकरियों में सरकारीकरण करने के नाम पर कुछ नहीं हुआ है सर्वोच्च न्यायालय ने समान वेतन और समान सुविधा देने का निर्णय दिया है। आंगनवाड़ी सेविकाओं के समान ही समेकित ग्रामीण विकास में कार्यरत ग्राम सेविकायें कार्य करती हैं जिन्हें सभी सरकारी सुविधाएं प्राप्त हैं किन्तु हम आंगनवाड़ी सेविकाओं को यह सुविधा प्राप्त नहीं है।

श्रीमती मिश्रा ने वर्तमान बिहार सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है कि यह सरकार सामाजिक न्याय की बात तो करती है मगर हकीकत यह है कि इस सरकार में कमजोर लोगों की आवाज सुनी ही नहीं जाती। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय तक ने राज्य सरकार को हिदायत दी है कि राज्य सरकार के प्रतिष्ठानों में चाहे वे जिस किसी रूप में दैनिक श्रमिक कार्यरत हों उन्हें समान कार्य के लिए समान वेतन एवं समान सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने चाहिए। आज की इस विषम परिस्थिति में बिहार की जनता को सामाजिक न्याय के बदले न्यायिक एवं नैतिक परिवर्तन की आवश्यकता है मगर इस भ्रष्ट सरकार को कोई पुरवा या पछवा हवा लगती ही नहीं है।

इतना ही नहीं, गत चार अक्टूबर 1992 को माननीय मुख्यमंत्री ने श्री लालूप्रसाद ने गर्जना करते हुए कहा था कि इस कांग्रेसी शासन में इन दलित महिलाओं का उद्धार संभव नहीं। यदि हमारी सरकार होती तो सर्वप्रथम इन उपेक्षित महिलाओं को समान काम, समान वेतन के सिद्धांत पर सरकारी सेवक घोषित कर मसला चुटकी में हल कर लेते किन्तु आज जब बिहार में 'जनतादल' की सरकार है और श्री लालूप्रसाद स्वयं मुख्यमंत्री हैं तब हम आंगनवाड़ी सेविकाओं एवं सहायिकाओं को दिए गए पूर्व के आश्वासन के आलोक में सरकारीकरण क्यों नहीं किया जाता?

विडंबना तो यह है कि ग्यारह सितंबर, '90 के किए गये समझौते में उन तमाम दैनिक वेतनभोगी, कार्यकारित आदि कर्मचारियों की जिनकी सेवा 240 दिनों की हो चुकी है उन्हें अविलंब नियमित करने का वादा वर्तमान सरकार ने किया था किन्तु खेद है कि इनके अफसरशाही के चलते सरकार की उपेक्षापूर्ण नीति, वादा खिलाफी, झूठे वक्तव्यों ने सामाजिक न्याय की धज्जियां उड़ा दी हैं। सरकार की सारी कागजी योजनाओं को कागज से उतार कर धरातल पर लाना होगा। यह कार्य सभी आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका एवं कर्मचारियों की सहभागिता के बिना संभव नहीं है। इसलिए आज की यह बैठक निर्णय लेती है कि हम सभी अपनी सेवा के सरकारीकरण के लिए मर-मिटेंगे। एवं उन्नीस नवंबर, '92 से होनेवाली अनिश्चित कालीन हड़ताल में अन्तिम क्षण तक डटे रहेंगे।

श्रीमती सुशीला देवी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में आंगनवाड़ी सेविकाओं एवं सहायिकाओं का 'करो या मरो' की नीति का अनुशरण करने का आह्वान किया। उन्होंने सेविकाओं एवं सहायिकाओं को एकजुट होकर 19 नवंबर 1992 से होनेवाली हड़ताल को शत्प्रतिशत सफल करने का आह्वान किया।

सभा को श्रीमती सुनैना देवी, श्रीमती कमला सिन्हा, श्रीमती जानकी देवी, कुमारी संध्या पाण्डेय ने भी सम्बोधित किया।

बिहार राज्य कामकाजी महिला समन्वय समिति की बैठक

रमणिका गुप्ता

विहार राज्य कामकाजी महिला समन्वय समिति की बैठक पटना में 20 जनवरी को हुई। कामकाजी महिला समिति की संयोजिका का. रमणिका गुप्ता ने कामकाजी महिलाओं की समस्याओं विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के साथ होने वाले दुर्व्यहार एवं भेदभाव की नीतियों पर प्रकाश डाला। बैठक में श्रीमति संध्या बक्सी, श्रीमति शांति देवी, जयश्री, आरती राय, कोशल्या देवी तथा प्रो. अर्चना भट्टाचार्य ने कामकाजी महिलाओं की समस्याओं पर प्रकाश डालते हुए अपने-अपने संगठनों के अन्दर खास तौर से कामकाजी महिलाओं की ट्रेड यूनियनों, संघों और सेवा संघों के अन्दर आगे बढ़कर कार्य करने तथा नेतृत्व में आगे आकर समस्याओं के समाधान तथा बढ़ते जा रहे दुर्व्यहार के विरुद्ध मिलकर संघर्ष करने पर मुख्य रूप से जोर डाला।

बैठक में सर्व प्रथम बिहार राज्य अराजपवित कर्मचारी महासंघ के नेतृत्व में 62 दिनों से चल रही हड़ताल का समर्थन करते हुए सरकार से उनकी मांगों के ऊपर सम्मानजनक समझौता कर अविलंब हड़ताल समाप्त करने की मांग की गयी।

बैठक में केन्द्रीय सरकार की जनविरोधी नीतियों के चलते बढ़ती महंगाई पर चिन्ता व्यक्त करते हुए समाज के अन्य हिस्सों के साथ मिलकर संघर्ष करने का आह्वान किया गया।

बैठक में खासतौर से एक विशेष प्रस्ताव पास कर कोल इंडिया की महिला श्रमिक विरोधी नीति की सख्त निन्दा करते हुए मांग की गयी कि मर्दों के समान ही विस्थापितों की महिला आश्रितों को तथा कर्मचारियों के बीमार होने या मरने पर उनके बदले मिलने वाली नौकरी में महिला आश्रितों को भी नौकरी दी जाय।

बैठक में महिलाओं पर बढ़ते जुल्म और आतंक के विरुद्ध संगठित रूप से संघर्ष करने का आह्वान किया गया।

इसके अतिरिक्त उस मीटिंग में निम्न फैसले लिये गये—

(1) सर्व सम्मति तय हुआ कि सन्ध्या बक्सी, रानी देवी, श्रीमति मिंक एवं दो अन्य धनबाद से तथा भारतीय निर्यात निगम पटना की कर्मचारी पटना से एवं कौशल्या एवं शान्ती क्रमश: खवाडिया एवं मोतीयरी से कमेटी में मनोनीत की गई।

(2) सर्वसम्मति से यह भी तय हुआ कि 15 दिन में एक बार कामकाजी महिला समिति की सांगठनिक कमेटी की पटना में रहने वाली सदस्याएं सी. आई. टी. यू. कार्यालय में नियमित रूप से बैठक करेगी और तत्कालिक समस्यायें पर विचार करेगी। इसके लिए का. अपर्णा भट्टाचार्य एवं भारती राय को जिम्मा दिया गया कि वह सबसे सम्पर्क कर बैठक सुनिश्चित करे।

(3) यह भी तय हुआ कि सांगठनिक कमेटी की सभी सदस्यायें महीना में दो रुपया कोष की तरफ जमा करेगी ताकि डाक आदि का खर्च चल सके।

(4) का. जयश्री देवी ने प्राथमिक शिक्षकों के लिए नान गजेटिड एम्पलाईज फेडरेशन से सम्बन्धित यूनियन निबन्धित करवाने का अनुरोध किया ताकि प्राथमिक शिक्षक एवं शिक्षकाएं उसके सदस्य बनकर अपनी मांगों पर संघर्ष कर सके।

(5) अगली मीटिंग 5 अप्रैल को पटना में होना निश्चित हुआ।

[पृष्ठ 15 का शेष]

कहा कि बाल मजदूरी की समस्या को सुलझाने के लिए समाज में जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है।

1. समाज में खतरनाक पेशों व बच्चों पर पड़ने वाले उनके प्रभाव के बारे में जागरूकता पैदा की जाये।
2. लड़कियों की समस्याओं को उठाया जाये।
3. स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम
4. मनोरंजन के साधन
5. अनौपचारिक शिक्षा।

गुरु तेगबहादुर चैरिटेबल अस्पताल, लुधियाना की महिला उद्यमियों का संघर्ष

सुरिन्दर जीत कौर (महासचिव आई. एम. सी. सी.)

अस्पताल के स्वास्थ्य विभाग में जहाँ बड़ी संख्या में महिला उद्यमी कार्यरत हैं समान काम के लिए समान वेतन का प्रावधान केवल कागजों तक ही सीमित होकर रहा गया है। गुरु तेगबहादुर चौरिटेबल अस्पताल, लुधिताना (पंजाब) इस बात का ज्वलंत उदाहरण है कि किस प्रकार महिला के बनाये गये कानून बेकार हो जाते हैं।

गुरु तेगबहादुर अस्पताल दरअसल एक 'खैराती' अस्पताल बन गया है। तहाँ के प्रबन्धक कर्मचारियों को काम के मुताबिक वेतन नहीं दे रहे हैं। महिला कर्मचारियों की अनेक समस्याएँ हैं। उदाहरण के तौर पर नर्सें, ए.एन.एम. तथा अन्य महिला कर्मचारी जो कठिन परिश्रम कर रही हैं उनकी दशा अत्यन्त खराब है।

स्टाफ की प्रमुख समस्याएं

समान काम के लिए समान वेतन का प्रावधान केवल कागजों पर ही रहा। नर्सों को 1380 रु. मिलते हैं जबकि ए.एन.एम. केवल 800 रु. पा रही हैं। सहायकों को 400 रु. तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को 300 रु. मिलते हैं। दूसरी ओर पंजाब सरकार के अधीन नर्सों का आरंभिक वेतन 2200 रु., ए.एन.एम. का 1700 रु., सहायकों का लगभग एक हजार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का वेतन 800 रु. प्रतिमाह है।

आवास की समस्या

एक कमरे में केवल दो बिस्तरों के लायक जगह है लेकिन वर्तमान में एक कमरे में चार नर्सों को रहना पड़ रहा है। रसोईघर की सुविधा नहीं है तथा उन्हें अपना खाना स्वयं बनाना पड़ता है। केवल एक गुसलखाना व एक शौचालय है। वे गर्मियों में कूलर नहीं चला सकतीं। कुछ कमरों में पंखे नहीं हैं तथा लड़कियाँ अपने पंखे प्रयोग करती हैं। प्रबन्धक प्रति बिस्तर 200 रु० के हिसाब से किराया लेते हैं।

इस खैराती अस्पताल में महिलाओं को गर्भावस्था अवकाश भी नहीं दिया जाता जबकि पंजाब सरकार अपनी कर्मचारियों को पूरी तनख्वाह के साथ छः माह का गर्भावस्था अवकाश प्रदान करती है।

उन्हें कोई वर्दी भत्ता नहीं मिलता जबकि पंजाब सरकार के अधीन 100 रु० प्रति माह के हिसाब से वर्दी भत्ता मिलता है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को कोई आकस्मिक अवकाश प्रदान नहीं किया जाता।

60 बिस्तरों वाले एक वार्ड में केवल दो नर्सें दिन-रात काम करती हैं। आपातकालीन वार्ड में जहां इस समय गंभीर रूप से बीमार बीस मरीज दाखिल हैं केवल दो नर्सों की ड्यूटी है। उन्हें अत्यन्त कठिन परिस्थितियों में काम करना पड़ रहा है।

प्रबंधक उन्हें अपने घरेलू कामों को करने पर भी मजबूर करते हैं तथा उन्हें नौकरी से निकाल देने की धमकी देते हैं।

इस अस्पताल के सभी कर्मचारी संगठित हैं व संघर्ष कर रहे हैं। प्रबंधकों ने चार स्टाफ नर्सों को निकाल दिया लेकिन हमने सीटू, स्त्री मुलाजिम उपसमिति व अन्य लोकतांत्रिक संस्थाओं की मदद से संघर्ष में विजय पायी तथा अब वे चारों नर्सें अस्पताल में कार्यरत हैं।

शराब की दुकान खोलने के विरोध में तीन घण्टे रोड जाम, शराब नालियों में बहायी

उदयपुर में शहर के प्रमुख सलुम्बर चौराहे पर शराब का ठेका खोलने के विरोध में जनवादी महिला समिति ने तीन घण्टे तक रोड जाम कर दिया, तथा शराब की बोतलें फोड़ कर शराब नाली में बहायी। विरोध का नेतृत्व अ. भा. जनवादी महिला समिति के जिला सचिव मंजू सिंघवी, अध्यक्षा रूकमणी देवी, सह-सचिव साधना मीणा, रतन देवी सोहन बाई, भगवती चौहान, शान्ता जैन, मंजू खत्री, ममता जैन, आदि कई कार्यकर्त्ता व करीब 200 महिलाओं ने किया।

करीब तीन घण्टे बाद पुलिस अधीक्षक के पहुंचने के बाद संगठन की नेताओं से बात हुई और ठेका नहीं खोलने देने का अश्वासन देने के बाद रास्ता खोला। बाद में 7 महिलाओं का प्रतिनिधि मण्डल आबकारी आयुक्त, एस. पी. सा. व जिलाधीश महोदय से मिला व ज्ञापन दिया और सभी अधिकारियों ने शराब की दुकान नहीं खोलने का अश्वासन दिया।

वर्ष 1991—महिलाओं के लिए यातनापूर्ण

कांग्रेस सरकार का पिछला वर्ष महिलाओं के लिए यातनापूर्ण रहा है। दहेज हत्याओं की संख्या 2996, बलात्कार के मामलों की संख्या 5916 तथा महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाओं की संख्या 12902 तक पहुँची व अपहरण के 7116 मामले प्रकाश आए। उत्तर प्रदेश ने सर्वाधिक दहेज हत्याओं का गौरव प्राप्त किया तथा उसके बाद महाराष्ट्र का स्थान है जो सामाजिक सुधारों के मामले में आगे बताया जाता है। अमीना नामक एक बच्ची को एक बूढ़े से विवाह के बाद अरब देश को बेचा जा रहा था। कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के 100 दिन के भीतर आवश्यक वस्तुओं की कीमतें घटाने का वादा था। हालांकि इस बात पर प्रधानमंत्री के अतिरिक्त शायद ही किसी ने विश्वास किया हो। रोटी के दाम दुगने हो गये, राशन से मिलने वाले चावल व गेहूं की कीमतें बढ़ी तथा बसों के किराये में वृद्धि हुई। सरकार पेट्रोल और कोयले की कीमतों में और वृद्धि करने जा रही है।

पंजाब में आतंकवादियों द्वारा निर्दोष लोगों पर हमले जारी हैं। त्रिपुरा में कांग्रेस सरकार के असमाजिक तत्व आदिवासियों की हत्या कर रहे हैं तथा स्वायत्त जिले की उनकी जायज माँग को नकारा जा रहा है। महिलाओं के साथ उनके पतियों की उपस्थिति में बलात्कार किया जा रहा है।

गया (बिहार) हरिजनों की हत्या से देश में व्याप्त जातिवाद की सही तस्वीर सामने आयी। जमींदार लोग अपना हक समझकर हरिजनों के घर जला देते हैं तथा उनके परिवार की महिलाओं को छेड़ते हैं। आजादी के 49 साल बाद भी देश में ऐसी शर्मनाक घटनाएं पहले से अधिक संख्या में बढ़ रही हैं।

लेकिन जैसे यही काफी नहीं था, अब कर्नाटक में कावेरी जल विवाद उभर आया है जिसके फलस्वरूप हत्या, आगजनी व लूट-पाट की घटनाएं हो रही हैं। हमारे देश की एकता को यह क्या हो गया है जिसकी रक्षा के बारे में हमारे नेता लोग बड़े-बड़े दावे करते हैं। भाजपा, विहिप, शिव सेना व ऐसे अन्य संगठनों द्वारा 'हिन्दुओं को एक करने के' नारे द्वारा साम्प्रदायिक भावनाएं भड़कायी जा रही हैं। एकता के नाम पर 'एकता यात्रा' को कश्मीर ले जाया गया। कौन नहीं जानता कि कि इसके क्या नतीजे होंगे।

कांग्रेस सरकार ने देश को अमरीका के हाथों बेच देने का फैसला कर लिया है। मुद्रा कोष से ऋण लेने, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को निवेश के लिए आमंत्रित करने उद्योगों के निजीकरण तथाकथित बीमार इकाइयों को बन्द करने के सरकारी फैसलों से यह स्पष्ट हो गया है कि सरकार को देश की आत्मनिर्भरता तथा बेरोजगारों की समस्याओं की कोई चिन्ता नहीं है। क्या बेरोजगार हो जाने वाले लोग 'नेशनल रिनुवल फंड' से कुछ पेंशन पाकर संपुष्ट हो सकेंगे वे युवा लोग हैं जो देश के लिए काम करना चाहेंगे।

वर्ष 1991 समाजवादी खेमे को लगे आघात के लिए भी याद किया जायेगा, जिसका तीसरी दुनिया के देशों, जिनमें भारत भी शामिल है—पर भी प्रभाव पड़ा है।

लेकिन सौभाग्य से विश्व में चीन, क्यूबा, उत्तरी कोरिया व वियतनाम जैसे देश हैं जो अभी मार्क्सवादी-लेनिनवादी विचारधारा का अनुसरण करते हुए समाजवादी राह पर चलते रहने का संकल्प लिए हुए हैं, हालांकि हमारे देश के लोगों को सोवियत संघ की घटनाओं से दुःख पहुँचा है तथा मजदूर वर्ग के झंडे उतारे जाने से भी उन्हें दुःख हुआ है लेकिन 29 नवंबर की शानदार हड़ताल ने दिखा दिया है कि उनका इस विचारधारा में अडिग विश्वास है तथा वे समाजवादी राह पर आगे बढ़ते रहेंगे। वे मजदूर वर्ग में एकता स्थापित करके वर्ग संघर्ष को आगे बढ़ायेंगे जिससे अन्ततः इस बुजुर्आ, जमींदार सरकार का पतन होगा। वे मजदूर वर्ग की एकता को अक्षुण्ण बनाये रखने का प्रयास करेंगे।

पंजाब ने हमें दिखा दिया है कि लोग किस प्रकार एकता के लिए संघर्ष करते हुए अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं। त्रिपुरा के लोग भी डटकर काँग्रेसी शासन के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। उनके नेतृत्व ने उनमें एकता

स्थापित करके तथा उनकी मांगों को उठाकर उनकी शक्ति को बढ़ाया है। हमें अपनी ओर से यह शपथ लेनी चाहिए कि वर्ष 1992 पिछले वर्ष की तरह नहीं होगा। सीटू मजदूर वर्ग को लाल झंडे तले संगठित करके उन्हें समाजवाद के लक्ष्य की ओर ले जायेगी। हमारा लक्ष्य संघर्षों के माध्यम से लोगों को मार्क्स, लेनिन व स्टालिन द्वारा दिखाए गये रास्ते पर ले जाना होगा।

पूर्वी जर्मनी पुनः दीवार चाहता है

3 नवम्बर, लन्दन; पूर्वी जर्मनी के लोग पुनः दीवार चाहते हैं और इस चीज़ को लेकर जर्मनी में असंतोष व्याप्त है।

पूर्व-पश्चिम का बढ़ता हुआ विरोध चिन्ता का कारण है। इसमें कोई शक नहीं है जर्मनी का एकीकरण पश्चिम जर्मनी की जीवन पद्धति की विजय है। पश्चिम के व्यवहार के कारण पूर्वी जर्मनी के लोग पुनः दीवार चाह रहे हैं। पश्चिमी भाग पूर्वी जर्मनी के आर्थिक समस्याओं को झेल-झेलकर थक चुका है।

पिछले वर्ष वाला उत्साह अब वहां नहीं है। इसका स्थान आगे के आर्थिक संघर्ष की कठोर वास्तविकता ने ले लिया है।

जर्मनी की चिन्ताएं स्पष्ट हैं। स्टील मजदूरों, सरकारी व बैंक कर्मचारियों ने मुद्रास्फीति की दर से दुगनी वेतन वृद्धि की माँग शुरू कर दी है। यूरोपीय समुदाय के आर्थिक प्रतिष्ठानों में जर्मनी की अर्थव्यवस्था के भविष्य को लेकर भय व्याप्त है। यूरोप पर इसका प्रभाव स्पष्ट है।

जर्मनी का 'ड्यूक मार्क' आज भी यूरोप में एक प्रचलित मुद्रा है। बढ़ते हुए व्यापार घाटे व मुद्रास्फीति के कारण जर्मनी के 'बड्स बैंक' पर ब्याज दर बढ़ाने के लिए दबाव पड़ेगा।

बेशक पूर्वी जर्मनी अपनी 30 प्रतिशत बेरोजगारी की दर से उबर जायेगा। लेकिन प्रश्न यह उठ रहा है कि क्या उस दौरान पश्चिम जर्मनी का सामाजिक ढांचा कायम रह पायेगा। जातीय हिंसा व शरणार्थियों की हत्या जर्मनी में व्याप्त सामाजिक असंतोष का स्पष्ट चिह्न है।

(फाइनेंशियल एक्सप्रेस, 4-11-91)

बिहार राज्य आंगनवाड़ी सेविका-सहायिका संघ

बिहार राज्य आँगनवाड़ी सेविका-सहायिका एवं कर्मचारी संघ ने 16-1-92 को पटना में जिलाधिकारी के कार्यालय के समक्ष धरना दिया जिसमें कर्मचारियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने जिलाधिकारी को एक ज्ञापन भी दिया। आंगनवाड़ी कर्मचारियों की प्रमुख माँग उनकी सेवा के सरकारीकरण की थी। साथ ही उन्होंने सरकार की भ्रष्ट नीतियों व अफसरशाही का भी विरोध किया तथा उससे आंगनवाड़ी महिलाओं को होने वाले कष्टों का जिक्र करते हुए भविष्य में ऐसी गतिविधियां न दोहराने की चेतावनी दी।

दिनाँक 5-1-92 को आँगनवाड़ी सेविका-सहायिका एवं कर्मचारी संघ की बैठक लोक स्वास्थ्य संस्थान, पटना-4 में हुई। इसमें राज्य समिति के सभी सदस्य तथा सभी जिला मंत्री शामिल हुए, बैठक की अध्यक्षता श्रीमती सुशीला हाँसदा ने की।

बैठक में महामंत्री श्रीमती मिश्रा के सभी सदस्यों को संघ की स्थिति से अवगत कराया व बताया कि वर्तमान में संघ पर पैंतीस सौ रुपये का कर्ज है, जो कि एक चिन्ता का विषय है, तथा सभी सदस्यों को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।

बैठक में सर्वसम्मति से फैसला लिया गया कि सभी जिला मंत्री जल्द से जल्द अपने राज्य में सदस्यता शुल्क की बसूली करके राज्य कोष का हिस्सा भेजें।

बैठक में यह भी फैसला हुआ कि सरकार द्वारा उनकी सेवाओं का सरकारीकरण न करने के विरोध में वे जनवरी माह की मासिक बैठक में काले बिल्ले लगाकर जाएंगीं तथा दिनाँक 10-2-92 को जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष धरना देंगी व अपना मांग पत्र प्रस्तुत करेंगी।

अध्यक्ष द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव रखने के बाद बैठक समाप्त की गयी।

५ मार्च को आंगनवाड़ी महिलाओं द्वारा गिरफ्तारी

25-26 जनवरी 1992 को कलकत्ता के "श्रमिक भवन" में 'ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर्स एण्ड हेल्पर्स' की जनरल काउंसिल की कार्यसमिति की बैठक हुई। बैठक में पश्चिम बंगाल सहित अनेक राज्यों से प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।

बैठक की अध्यक्षता कॉ विमल रणदिवे (अध्यक्ष) का. भाब्तोश रॉय (कार्यकारी अध्यक्ष) ने की।

का. बिजय पाल तथा का. गिरिजा पोट्टी (उपाध्यक्ष) के निधन पर एक शोक प्रस्ताव पास किया गया। महासचिव, का. नीलिमा मित्रा द्वारा रखी गयी रिपोर्ट पर विचार-विमर्श हुआ। सभी सदस्यों ने विचार-विमर्श में भाग लिया। प्रमुख वक्ताओं में का. राजेश्वरी मुरगेशन (तमिलनाडु), का. सुभद्रा कुमारी सिंह (बिहार), का. आरती दास गुप्ता, का. निरूपमा चटर्जी, का. मनीषा चक्रवर्ती, का. मालिना घोष, का. अनु सरकार, का. इला रॉय, का. ज्योत्सना दत्ता, का. शेफाली चौधरी तथा का. रत्ना दत्ता (पश्चिम बंगाल) शामिल थीं।

बैठक में सर्वसम्मति से निम्न फैसले लिए गए—

राज्य संगठनों से 8 सितम्बर, 1991 को भेजे गये ऑल इंडिया सर्कुलर में भेजे गये पर्फोमे में राज्य में संगठन के काम की जानकारी मांगी जायेगी। राज्यों से यह भी आग्रह किया गया कि वे केन्द्र के साथ अधिक गहन संपर्क बनाए रखें। राज्यों में संगठनों को मजबूत करने के लिए विभिन्न राज्यों के दौरे का एक कार्यक्रम भी केन्द्र तैयार करेगा। संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा 5 मार्च को बोट क्लब पर धरने के कार्यक्रम में भी परिवर्तन किया गया। यह फैसला किया गया कि उसी दिन यानि 5 मार्च को राज्यों में जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर कार्यालय के समक्ष भी प्रदर्शन किए जायेंगे।

एक अखिल भारतीय संगठनात्मक सम्मेलन की संभावना पर भी विचार किया गया, लेकिन अन्तिम फैसला अगली बैठक में लिया जायेगा।

बैठक में सर्वसम्मति से दो प्रस्ताव पास किए गए, जिनमें से एक 28-1-92 से जूट मजदूरों की हड़ताल के समर्थन में तथा दूसरा भारत के राष्ट्रपति द्वारा दो वर्ष हड़तालों आदि पर प्रतिबन्ध लगाने के विरोध में था, जिसमें श्रमिक वर्ग पर इस हमले का विरोध करने का आह्वान किया गया।

इसके अतिरिक्त सरकार की औद्योगिक नीति, समापन नीति (Exit Policy) तथा गेहूँ, चावल, चीनी, कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि की कीमतें बढ़ाने की नीति के विरोध में भी एक प्रस्ताव पास किया गया।

ए. आइ. सी. सी. डब्लू. डब्लू. की बैठक नागपुर में

12 मार्च, 1992 को दस बजे, जनरल काउंसिल मीटिंग के एक दिन पहले ए. आई. सी. सी. डब्ल्यू. डब्ल्यू, की बैठक होगी। ए. आई. सी. सी. डब्ल्यू. डब्ल्यू, के सदस्य 11 ता. रात तक नागपुर पहुंच जाएं तथा स्वागत समिति से सम्पर्क करें।

बैठक का एजेंडा निम्नलिखित होगा—

1. सचिव की रिपोर्ट
2. विभिन्न राज्यों की रिपोर्ट तथा सचिव की रिपोर्ट पर विचार-विमर्श।
3. जहाँ कहीं राज्य समितियाँ अस्तित्व में हैं वहाँ उनके कार्य-कलापों पर विचार।
4. जहाँ कोई समिति नहीं है वहाँ सीटू के अन्तर्गत राज्य समिति का गठन।
5. सीटू तथा विभिन्न संगठनों के महिला निकायों के कार्य-कलाप।
6. ट्रेडयूनियन कार्यकर्ताओं के लिए कक्षा।
7. ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ आंगनवाड़ी वोमैन।
8. व्हाईस ऑफ वर्किंग वूमेन व कामकाजी महिला।
9. अध्यक्ष की अनुमति से रखा गया कोई अन्य विषय।

विमल रणदिवे (सचिव)

सीटू सेक्रेटेरियट द्वारा

शानदार हड़ताल के लिए मजदूरवर्ग को बधाई

30 नवंबर '91 को कॉ. ई. बालानन्दन की अध्यक्षता में सीटू के सचिव मंडल की बैठक हुई जिसमें नरसिंह राव सरकार की आर्थिक-औद्योगिक नीतियों के विरुद्ध 29 नवंबर की राष्ट्र व्यापी हड़ताल की रिपोर्टों को सुना गया।

सचिव मंडल ने विश्व बैंक-मुद्रा कोष के निर्देश पर बनायी गयी नरसिंह राव सरकार की आर्थिक-औद्योगिक नीतियों के खिलाफ मजदूर वर्ग व श्रम संगठनों द्वारा प्रदर्शित शानदार एकता के लिए उन्हें बधाई दी। इस एकता के परिणाम स्वरूप ही 29 नवंबर की हड़ताल देश भर में शानदार ढंग से सफल हुई।

प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, जहां पश्चिम बंगाल, केरल व बिहार में पूर्ण बन्द रहा वहीं सरकारी व निजी क्षेत्र के विभिन्न उद्योगों में लगभग पूर्ण हड़ताल रही। विभिन्न असंगठित क्षेत्रों के मजदूरों ने अभूतपूर्व ढंग से हड़ताल में हिस्सा लिया।

बैठक में एयरलाइन्स, बैंक व बीमा कर्मचारियों, राज्य सरकार के कर्मचारियों तथा सरकारी क्षेत्र के अधिकारियों को हड़ताल में जबर्दस्त भागेदारी के लिए विशेष रूप से बधाई दी गयी। साथ ही बैठक में केन्द्र सरकार व रेलवे कर्मचारियों को हड़ताल को भारी समर्थन देने के लिए बधाई दी गयी।

सचिव मंडल ने सीटू की यूनियनों, संघों व अन्य यूनियनों के सदस्यों को हड़ताल को सफल बनाने व मजदूर वर्ग की एकता के लिए किए गए अथक परिश्रम के लिए बधाई दी।

सचिव मंडल ने केन्द्रीय श्रम-मंत्री पी.ए. संगमा द्वारा हड़ताल के खिलाफ दिये भ्रामक व शरारत पूर्ण वक्तव्य की कड़ी भर्त्सना की। बैठक में हड़ताल-विरोधी प्रचार के लिए दूरदर्शन के दुरुपयोग की भी भर्त्सना की गयी।

सचिव मंडल ने हड़ताल के सफल संचालन में शानदार भूमिका के लिए प्रायोजक समिति को बधाई दी। बैठक में इस बात का विशेष उल्लेख किया गया कि इंटक व बी. एम. एस. की यूनियनों ने लगभग सभी राज्यों व उद्योगों में बड़ी संख्या में हड़ताल में भाग लिया। सचिव मंडल ने मजदूर वर्ग व सभी श्रम-संगठनों से अपील की (चाहे वे किसी भी विचारधारा की हों) कि वे मजदूर वर्ग की इस एकता को और मजबूत बनायें ताकि विश्व बैंक-मुद्रा कोष के निर्देश पर बनायी गयी आर्थिक व औद्योगिक नीतियों को बदलने के लिए नरसिंह राव सरकार को मजबूर किया जा सके।

अपमानजनक शर्तों के खिलाफ जीवन बीमा निगम की यूनियनों का संघर्ष

ए. आई. सी. सी. डब्ल्यू. तथा राज्य समितियों ने बीमा निगम द्वारा महिलाओं को नौकरी के लिए आवेदन पत्र पर नयी घोषित शर्तों के खिलाफ संघर्ष किया व उन्हें तुरन्त वापस लेने की मांग की। उन्होंने प्रधानमंत्री को निम्नलिखित पत्र लिखा है—

श्री पी. वी. नरसिम्हाराव,
प्रधान मंत्री
भारत सरकार
नई दिल्ली।

महोदय,

हम जीवन बीमा निगम द्वारा नौकरी के लिए आवेदन-पत्र में महिलाओं के लिए लगायी गयी शर्तों पर कड़ा ऐतराज करते हैं। उनसे पूछा गया है कि क्या उन्हें 'मासिक धर्म के समय पीड़ा होता है' तथा 'क्या वे गर्भपात करवा चुकी हैं?' यह नारीत्व का अपमान है। अतः हम मांग करते हैं कि आवेदन-पत्र से ऐसी अपमान जनक शर्तें हटायी जायें व उन्हें शामिल किए जाने के लिये खेद प्रकट किया जाये।

गोसलपुर फैक्टरी बचाओ आन्दोलन महिलाएं जेल गयी

कॉ० ए. टी. पदमनाभन (जबलपुर)

जबलपुर जिले के गोसलपुर स्थित म. प्र. विद्युत यंत्र लि. (ट्रान्सफार्मर) फैक्ट्री बचाओ आन्दोलन में महिलाओं ने भारी संख्या में हिस्सा लिया। इसके तहत 4 जनवरी 92 को सीटू द्वारा जिलाध्यक्ष कार्यालय जबलपुर के समक्ष आयोजित "धरना" में श्रीमति मनोरमा पांडे के नेतृत्व में महिलाओं ने काफी संख्या में भाग लिया। दूसरी ओर 11 जनवरी को श्रीमति मनोरमा पांडे व श्रीमति प्रमोद देवी पालीवाल के नेतृत्व में फैक्ट्री गेट के समक्ष बड़े पैमाने पर छोटे बच्चों सहित धरना दिया। जिसमें छोटे-छोटे बच्चों ने भी भाग लिया।

13 जनवरी को जेल भरो आन्दोलन में भी श्रीमति मनोरमा पांडे के नेतृत्व में 5 महिलाओं ने मजदूरों के साथ प्रदर्शन कर गिरफ्तारी दी और 16 जनवरी को चक्का जाम आन्दोलन के दौरान प्रदर्शन करते हुए इस ग्रामीण इलाके से 85 महिलाओं ने अपने छोटे-छोटे बच्चों सहित गिरफ्तारी दी। बाद में पुलिस ने उनमें से 15 महिलाओं को सेन्ट्रल जेल, जबलपुर भेज दिया जहां से पौने तीन दिन के बाद रिहा किया गया। रिहाई के बाद भी महिलाओं ने समूचे गोसलपुर व ग्राम कछपुरा में शासन की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया।

उल्लेखनीय है कि चक्का जाम आन्दोलन के समर्थन में गोसलपुर के व्यापारियों ने अपना व्यापार बंद रखा और लग-भग 3000 लोगों ने चक्का जाम आन्दोलन में भाग लिया। इस दौरान पुलिस द्वारा बल प्रयोग में रामकली दाहिया नाम की महिला सहित कई प्रदर्शनकारी घायल हो गये थे। इस आन्दोलन में 15 महिलाओं सहित 97 लोगों को पुलिस ने जेल भेजा था। जबलपुर क्षेत्र में महिलाओं द्वारा आन्दोलन में बढ़-चढ़ कर इस प्रकार हिस्सेदारी की घटना यह पहली बार घटी है।

५ मार्च १९९२ को बोट क्लब पर आंगनवाड़ी महिलाओं का धरना

5 मार्च, 1992 को बोट क्लब (नई दिल्ली) पर 12.00 बजे आंगनवाड़ी महिलाएं एक विशाल धरना देने जा रही हैं, जिनमें विभिन्न श्रम संगठनों के सदस्य हिस्सा लेंगे। धरने को विभिन्न संगठनों के सांसद संबोधित करेंगे। धरने के बाद सदस्य सरकारी नीतियों के विरोध में गिरफ्तारी देंगे।

अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर धरने को सफल बनाएं।

Book Post